

My Notes....

राष्ट्रीय

मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 पास हुआ

कैरियर, घर और बच्चों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती नौकरीपेशा महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मां बनने पर उन्हें 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। संसद के दोनों सदनों से इसे हरी झंडी मिल गयी है। लोकसभा ने मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 पर अपनी मुहर लगा दी। राज्यसभा पिछले साल अगस्त में ही इस विधेयक को पास कर चुका है।

क्या है

- नये विधेयक में नौकरीपेशा महिलाओं को दो बच्चों के जन्म के समय 12 सप्ताह के बजाये 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिये जाने का प्रावधान है।
- इस संशोधन विधेयक के जरिये मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन करके मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाई गयी है।
- यह कानून 10 से अधिक कर्मचारियों के सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। इससे संगठित क्षेत्र की करीब 18 लाख महिला कर्मचारी लाभान्वित होंगी।
- संशोधन बिल में दो बच्चों के जन्म पर 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है तीसरे बच्चे के जन्म पर सिर्फ 12 सप्ताह का ही मातृत्व अवकाश मिलेगा। मातृत्व अवकाश के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। इस कानून का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिन्होंने 3 माह से कम उम्र का बच्चा गोद लिया होगा। ऐसे मामलों में मातृत्व अवकाश की तिथि उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन मां को बच्चा दिया जायेगा।
- इस विधेयक के पास होने के बाद भारत दुनिया का तीसरे नंबर का देश हो गया है जहां सबसे ज्यादा मातृत्व अवकाश मिलेगा। कनाडा और नार्वे में 50 और 44 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है।

10वां “आईसीईजीओवी 2017

भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 7 मार्च से लेकर 9 मार्च, 2017 तक दिल्ली में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन “10वां आईसीईजीओवी 2017” आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय और यूनेस्को के सहयोग से यह सम्मेलन आयोजित किया गया।

‘ज्ञान समाज का निर्माण करना:-डिजिटल सरकार से लेकर डिजिटल सशक्तिकरण तक’ थीम वाले “आईसीईजीओवी 2017” का उद्घाटन माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने किये।

क्या है

- “आईसीईजीओवी 2017” का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्थानीय ज्ञान के जरिये डिजिटल सरकार किस तरह डिजिटल सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
- यह एक बड़ी साइबर शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को मान्यता दिये जाने के रूप में है, जिसे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने से नई गति मिली है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया गया है। डिजिटल गवर्नेंस ही सुशासन का भविष्य है और यह भारत का रूपांतरण एक पारदर्शी एवं डिजिटल रूप से सशक्त देश में करने संबंधी माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप है।
- “10वां आईसीईजीओवी 2017” के दौरान सरकार और नागरिकों, व्यवसाय जगत एवं सिविल सोसायटी के बीच के रिश्तों को रूपांतरित करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन के दौरान शिक्षाविद, सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्र एकजुट होकर डिजिटल सरकार के सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली से जुड़ी बारीकियों एवं अनुभवों को साझा करेंगे।
- संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय और यूनेस्को के सहयोग से पहली बार भारत में इस सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। लगभग 60 देशों की ओर से 560 शोधपत्र या पेपर पेश किए जायेंगे, जो आईसीईजीओवी के इतिहास में पेश किए जाने वाले सर्वाधिक शोधपत्र हैं।

5. सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में शोधपत्र, अनुभव से जुड़े दस्तावेज, पोस्टर पेपर इत्यादि पेश किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान डिजिटल प्रदर्शनी एवं विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जायेंगे, जिनमें डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े भारतीय अनुभवों एवं उपलब्धियों पर रोशनी डाली गई।

लोक सभा ने पारित किया एडमिरेल्टी विधेयक 2016

लोक सभा द्वारा एडमिरेल्टीय (न्याट्य क्षेत्र एवं सामुद्रिक दावों के निपटान) विधेयक, 2016 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य अदालतों के एडमिरेल्टीं न्याय क्षेत्र, सामुद्रिक दावों की एडमिरेल्टीय प्रक्रियाओं, पोतों की गिरफ्तारी एवं संबंधित मुद्दों से जुड़े वर्तमान कानूनों को मजबूत बनाने के लिये एक कानूनी संरचना की स्था पना करना है। इस विधेयक का उद्देश्य वैसे पुराने कानूनों का विस्थामपन करना भी है जो कासगर प्रशासन की राह में बाधा उत्पहन्न कर रहे हैं। यह विधेयक भारत के तटीय राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों को एडमिरेल्टीय न्यायपत्र क्षेत्र प्रदान करता है और यह क्षेत्राधिकार प्रादेशिक जलों तक फैला है।

विधेयक का उद्देश्य

1. एडमिरेल्टी विधेयक अदालतों के एडमिरेल्टी क्षेत्राधिकारों, समुद्रतटीय दावों पर अदालती कार्यवाही, जहाजों की जब्ती और अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़े मौजूदा कानूनों को मजबूती प्रदान करेगा।
2. इस विधेयक के माध्यम से नागरिक मामलों में नौवहन विभाग के क्षेत्राधिकार के पाँच पुराने कानून भी निरस्त किये जाएंगे। गौरतलब है कि यह कानून ब्रिटिश काल से लागू है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

1. एडमिरेल्टीय विधेयक 2016 भारत के तटवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालयों को एडमिरेल्टी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है और इस क्षेत्राधिकार का विस्तार संबंधित राज्य की समुद्री सीमा तक है।
2. केंद्र सरकार, अधिसूचना के माध्यम से इस क्षेत्राधिकार में विस्तार कर सकती है। विदित हो कि एडमिरेल्टीय क्षेत्राधिकार अब तक बाम्बे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों तक ही सीमित था।
3. इस विधेयक के कानून बनते ही किसी राज्य के एडमिरेल्टीं से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई उसी राज्य का उच्च न्यायालय करेगा।
4. एडमिरेल्टीय विधेयक सभी समुद्री जहाजों पर लागू होगा, जहाज के मालिक का आवास/ निवास चाहे कहीं भी हो। अंतर्राष्ट्रीय निर्माणाधीन जहाज इसके दायरे में नहीं लिये गए हैं लेकिन आवश्यकता महसूस होते ही केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके इनको भी इस दायरे में ला सकती है।
5. यह विधेयक युद्धपोत एवं नौसेना बेड़े के सहायक जहाज और गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग किये जाने वाले जहाजों पर लागू नहीं है। समुद्री दावों के मामलों में सुरक्षा कारणों के महेनजर निश्चित परिस्थितियों में जहाज को जब्त भी किया जा सकता है।
6. किसी जहाज पर चुनिंदा समुद्री दावों के संबंध में दायित्व का हस्तांतरण उसके नए मालिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर समुद्री नियमों के तहत किया जाएगा। साथ ही जिन पहलुओं को इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है, उन पर सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 ही लागू रहेगी।

निरस्त किये जाने वाले कानून

1. एडमिरेल्टीय कोर्ट अधिनियम, 1840,
2. एडमिरेल्टीय कोर्ट अधिनियम, 1861
3. कॉलोनियल कोर्ट्स ऑफ एडमिरेल्टी 6 अधिनियम, 1890
4. कॉलोनियल कोर्ट्स ऑफ एडमिरेल्टीम (इंडिया) अधिनियम, 1891
5. बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के एडमिरेल्टीं क्षेत्राधिकारों पर लागू लेटर्स पेटेंट प्रावधान, 1865

भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया

भारत ने 300 किलोग्राम के आयुध ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 11 बजकर 33 मिनट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से एक मोबाइल लॉन्चर से क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया।

क्या है

1. यह मिसाइल 300 किलोग्राम के आयुध ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल पहले चरण में ठोस और दूसरे में रैमजेट तरल प्रणोदक प्रणाली से संचालित है।
2. इसे पहले ही सेना और नौसेना में शामिल कर लिया गया है, जबकि वायु सेना में शामिल करने के लिए इसका परीक्षण अंतिम चरण में है।
3. ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल श्रृंखला की पहली क्रूज मिसाइल को आईएनएस राजपूत के साथ 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी, और अब ये सेना के दो रेजिमेंट में पूरी तरह से संचालनात्मक स्थिति में है।
4. ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित अब तक की सबसे आधुनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

रेल मंत्रालय और यूएनईपी ने एलओआई पर हस्ताक्षर किये

रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की गरिमामयी उपस्थिति में रेल मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में संयुक्ति सहयोग को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए 9 मार्च, 2017 को रेल भवन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किये। केन्या के नैरोबी स्थित मुख्यालय से आए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक एवं अवर महासचिव, श्री एरिक सोलहीम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारतीय रेलवे और यूएनईपी के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण एवं स्थायित्व के क्षेत्र में संयुक्त रूप से सहयोग की व्यवस्था के अवसर तलाशने तथा इसके विकास से जुड़े आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किये तथा उनका आदान-प्रदान किया।

क्या है

1. रेलवे में इस बात को प्राथमिकता दी जा रही है कि कार्बन के उत्सर्जन में कमी की जाए, जिससे सभी लोगों को फायदा होगा। इस साझेदारी के बाद यूएनईपी के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने हेतु व्यापक अवसर हैं।
2. रेलवे कई हरित कदम पहले से उठा रही है और वह 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने जा रही है। इस संयुक्त सहयोग से भारतीय रेलवे को अपने हरित उद्देश्यों की पूर्ति में मदद मिलेगी।
3. इस साझेदारी के तहत विशेष ध्यान वाले तीन प्रमुख क्षेत्र ये हैं :- अपशिष्टन प्रबंधन, जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हैं; जल की खपत में कमी, जो पर्यावरण से जुड़े मसलों के केन्द्र में हैं और सतत सार्वजनिक खरीद। भारतीय रेलवे एक प्रमुख खरीद एजेंसी है। इसके तहत और ज्यादा हरित माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

संयुक्ति पहल के लिए चिह्नित फोकस वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है :-

1. रेलवे के प्रतिष्ठानों में पानी की खपत में 20 फीसदी की कमी को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट रोडमैप तैयार करने हेतु सहयोग करना।
2. भारतीय रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के लिए एक मसौदा कार्य योजना विकसित करने में सहयोग करना।
3. हरित प्रौद्योगिकी हेतु टिकाऊ सार्वजनिक खरीद पर भारतीय रेलवे के लिए एक मसौदा कार्य योजना विकसित करने में सहयोग करना।

इंटरसेप्टर मिसाइल का किया सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे पहले भी डीआरडीओ इस तरह के परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका है। इंटरसेप्टर मिसाइल दरअसल एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से अपनी और आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में नष्ट किया जा सकता है। इसी तरह का एक टेस्ट

यूएनईपी क्या है?

1. यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी।
2. इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी का संप्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है।
3. इसका मुख्यालय नैरोबी (केन्या) में है। यूएनईपी पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
4. यूएनईपी अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है।

पिछले माह भी किया गया था। उस वक्ति पीडीवी इंटरसेप्टर और दो स्टे ज वाली टार्गेट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।

क्या है इंटरसेप्टर

1. इंटरसेप्टर 7.5 मीटर लंबा मजबूत रॉकेट है जो नौवन प्रणाली, हाईटेक कंप्यूटर और इलेक्ट्रो-मैनिकल एक्सिवेटर की मदद से गाइडेड मिसाइल से संचालित होता है।
2. एक स्वचालित अभियान के तहत रडार आधारित प्रणाली ने शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल की पहचान की जाती है।
3. इसके बाद रडार से मिले आंकड़ों की मदद से कंप्यूटर नेटवर्क आ रही बैलिस्टिक मिसाइल का गश्ताप पता लगाता है। कंप्यूटर सिस्टम से जरूरी निर्देश मिलते ही इंटरसेप्टर को टार्गेट भेदने के लिए छोड़ दिया जाता है।

पहले भी हो चुका है टेस्ट

1. पिछले वर्ष भी पूरी तरह से मल्टीलेवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल करने के प्रयास के तहत भारत ने स्वदेशी सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।
2. उस वक्त इसी तरह के परीक्षण में इंटरसेप्टर के लिए पृथ्वी मिसाइल के नेवल एडिशन को टार्गेट के तौर पर स्थापित किया गया था।
3. इस लक्ष्य को बंगल की खाड़ी में खड़े पोत से छोड़ा गया था। इंटरसेप्टर एडवांस्ड एवर डिफेंस (एडी) मिसाइल ने लक्ष्य वाली मिसाइल को काफी उंचाई पर ही नष्ट कर दिया था।

शत्रु संपत्ति कानून संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित

राज्यसभा ने विषय की गैर मौजूदगी में करीब 50 साल पुराने शत्रु संपत्ति कानून संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक में युद्ध के बाद पाकिस्तान एवं चीन पलायन कर गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। उच्च सदन ने शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2016 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन ने सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों को भी स्वीकार कर लिया।

क्या है

1. कानून में संशोधन से जुड़े अध्यादेश की अवधि 14 मार्च 2017 को समाप्त हो जाएगी। उन्होंने इसे सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी बताया।
2. यह सिद्धांत है कि किसी सरकार को अपने शत्रु राष्ट्र या उसके नागरिकों को संपत्ति रखने या व्यावयायिक हितों के लिए मंजूरी नहीं देनी चाहिए। शत्रु संपत्ति का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए न कि शत्रु देशों के नागरिकों के उत्तराधिकारियों के पास।
3. यह विधेयक पिछले साल ही लोकसभा में पारित हुआ था और उसके बाद यह विधेयक उच्च सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया था। उच्च सदन में पारित होने के बाद विधेयक को लौटा दिया गया। संसद से पारित होने के बाद यह विधेयक इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा।

‘कलवरी’ का हुआ सफल परीक्षण

भारतीय नौसेना ने देश में ही बनी स्कोर्पिन श्रेणी की कलवरी सबमरीन से पोत रोधी मिसाइल का अरब सागर में पहली बार सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण में मिसाइल ने विस्तारित रेंज में मार करते हुए सतह पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया।

क्या है

1. यह मिसाइल परीक्षण देश में ही बनाई गई स्कोर्पिन श्रेणी की कलवरी पनडुब्बी के लिए तो महत्वपूर्ण पड़ाव है ही इससे नौसेना की समुद्र के भीतर से मार करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। देश में बनाई जा रही कलवरी श्रेणी की सभी छह पनडुब्बियों को इस पोत रोधी मिसाइल से लैस किया जाएगा।
2. इस मिसाइल का मारक अभियानों में अच्छा रिकार्ड है। इस मिसाइल की बदौलत अब ये पनडुब्बी विस्तारित रेंज पर स्थित लक्ष्य को आसानी से भेद सकेंगी।
3. कलवरी भारत की उन 6 स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों में पहली है, जिनका निर्माण परियोजना 75 के तहत किया जा रहा है।

4. मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) फ्रांसीसी कंपनी डीसीएनएस के सहयोग से पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है। अक्टूबर 2015 में कलवारी को समुद्र में उतारा गया था। इसकी रेंज सामने से 12,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। वहाँ पानी के अंदर इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है।

स्कॉर्पियन पनडुब्बी एंटी शिप मिसाइल से है लैस

मझगांव डॉक लिमिटेड में बन रही स्कॉर्पियन पनडुब्बियां जहाज रोधी मिसाइल से लैस हैं, जो पलक झपकते ही दुर्घटन के जहाजों को ध्वस्त कर देने में सक्षम हैं। पहली अत्याधिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी कलवारी को इस वर्ष के मध्य में शामिल करने की तैयारी है। इसे मिसाइलों और हथियार प्रणाली से लैस करने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। भारतीय नौसेना ने डाटा लीक मामले को पीछे छोड़ते हुये फ्रांस द्वारा बनायी गयी स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए आखिरकार एक समयसीमा तय कर ली है और पहली दो पनडुब्बियों के इस वर्ष नौसेना में शामिल होने की संभावना है।

क्या है

1. फ्रांस की तकनीक के साथ इन पनडुब्बियों का करीब 3.5 बिलियन डॉलर की कीमत से मझगांव डॉक लिमिटेड में निर्माण किया जा रहा है। ये सभी डीजलख्रिलेक्ट्रिक आक्रमण वाली पनडुब्बियां हैं।
2. योजना के अनुसार, दूसरी पनडुब्बी खानदरी को इस साल के अंत तक नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा और इसके बाद नौ महीने के अंतराल पर बाकी की पनडुब्बियों को शामिल करने की योजना है।
3. पहली पनडुब्बी का निर्माण कार्य 23 मई 2009 को शुरू हुआ था और यह परियोजना अपने निर्धारित समय से चार वर्ष पीछे चल रही है।
4. अगस्त में इन पनडुब्बियों की क्षमताओं पर 22 हजार से अधिक पृष्ठों की अत्यधिक गोपनीय सूचनाएं लीक हो गयी थीं और ऑस्ट्रेलिया के एक समाचार पत्र ने इनकी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया था।
5. उस समय नौसेना के सूत्रों ने कहा था कि दस्तावेज पुराने हैं और भारतीय पनडुब्बियों के डिजाइन में शुरूआती डिजाइन से लेकर अब तक कई बदलाव किये गये हैं।
6. हिन्द महासागर में अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना के लिए ये पनडुब्बियां काफी जरूरी हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के जल क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों के होने की सूचना सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए चिंता का विषय है।
7. ऐसे में भारतीय नौसेना सागर के अंदर अपने हमले को और धार देने के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की परियोजना पर काम कर रही है।
8. भारत के पास 13 परंपरागत पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा रूस से लीज पर ली गयी अकुला-2 परमाणु पनडुब्बी है।

सुप्रीमकोर्ट ने मांगी मल्टी एजेंसी ग्रुप की रिपोर्ट

पनामा पेपर लीक मामले में सुप्रीमकोर्ट ने केन्द्र सरकार को मल्टी एजेंसी ग्रुप की सभी छह रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से चार साताह में सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

क्या है

1. कोर्ट सरकार की ओर से दाखिल रिपोर्ट देखने के बाद तय करेगी कि इस मामले की जांच के लिए अलग से एसआइटी गठित करने की जरूरत है कि नहीं। फिलहाल मामले की जांच मल्टी एजेंसी ग्रुप कर रही है। जो अभी तक छह रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है।
2. जब कोर्ट ने सरकार से इस मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित करने पर विचार को कहा तो सरकार की ओर से पेश सालिसीटर जनरल ने विरोध करते हुए कहा कि पहले से ही इस मामले की जांच मल्टी एजेंसी ग्रुप कर रही है।
3. इस मल्टी एजेंसी में सीबीडीटी, आरबीआइ, प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय खुफिया निदेशालय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट पहले इसकी रिपोर्ट देख ले उसके बाद ही एसआइटी बनाने के बारे में कोई फैसला करें। सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अभी तक 424 लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है जिनके जवाब आ रहे हैं।
4. मामले की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तिथि तय कर दी। उधर दूसरी ओर याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट की प्रति उन्हें भी मुहैया कराई जाए ताकि वे इस मामले में बहस कर सकें।
5. सुप्रीमकोर्ट में लंबित याचिका में पनामा पेपर्स में सामने आए विदेशों में खाता रखने वाले भारतीयों के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में सीबीआइ या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गयी है।

‘लापता’ चंद्रयान-1 पाया गया

भारत की ओर से चंद्र मिशन पर भेजे गए अंतरिक्षयान ‘चंद्रयान-1’ को चंद्रमा की परिक्रमा करता हुआ पाया गया है, जिसे लापता मान लिया गया था। नासा ने भूमि आधारित राडार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस अंतरिक्षयान का पता लगाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का चंद्रयान-1 के साथ 29 अगस्त, 2009 को संपर्क खत्म हो गया था। इसे 22 अक्टूबर, 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। कैलिफॉर्निया स्थित नासा के शेट प्रोपल्सन लैबोरेटरीज़’ के वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्षयान का सफलतापूर्वक पता लगाया है।

क्या है

1. यह अंतरिक्षयान अब भी चंद्रमा की सतह से करीब 200 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा है। जेपीएल में राडार वैज्ञानिक मरीना ब्रोजोविक ने कहा, शहम नासा के लूनर रिकोनाइशां ऑर्बिटर (एलआरओ) तथा इसरो के चंद्रयान-1 को चांद की कक्षा में पता लगाने में सफल रहे हैं।
2. ‘एलआरओ’ का पता लगाना तुलनात्मक रूप से आसान था क्योंकि मिशन के नौवहकों और कक्षा के डाटा को लेकर काम कर रहे थे, जहां यह स्थित था।
3. भारत के चंद्रयान-1 का पता लगाने के लिए और अधिक काम करने की जरूरत है क्योंकि अंतरिक्षयान के साथ आखिरी संपर्क अगस्त, 2009 में हुआ था।
4. चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट 1.5 मीटर लंबाई का है और क्यूब के आकार जैसा है। इसे एक स्मार्ट कार के आकार के आधे के बराबर माना जा सकता है। इस चंद्रयान का पता लगाने के लिए अतर-ग्रहीय राडार्स का इस्तेमाल किया गया था, इसके बाद भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी।
5. 3,80,000 किलोमीटर दूर स्थित इस स्पेसक्राफ्ट का पता लगाने के लिए जेपीएल की टीम ने नासा के 70 मीटर लंबे एंटीना इस्तेमाल किया था।
6. कैलिफॉर्निया स्थित नासा के गोल्डस्टोन डीप स्पेस कॉम्युनिकेशन्स कॉम्प्लेक्स से माइक्रोवेव्स की पावरफुल बीम्स भेजकर टीम ने चंद्रयान-1 की लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल की।

कृषि योजनाओं का 30 फीसद महिलाओं पर होगा खर्च

कृषि मंत्रालय अपनी सभी योजनाओं का 30 फीसद हिस्सा महिलाओं पर खर्च करेगा। केंद्रीय कृषि व सहकारिता मंत्री राधा मोहन सिंह ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं की नगण्य भागीदारी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश की कुल आठ लाख सहकारी संस्थाओं में से मात्र 20 हजार का ही संचालन महिलाएं करती हैं। महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय हर संभव प्रयास करेगा।

क्या है

1. कृषि मंत्रालय ने अपनी सभी योजनाओं में 30 फीसद धनराशि महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसी के बाबत महिला किसानों के लिए भुवनेश्वर में केंद्रीय कृषि रत महिला संस्थान स्थापित किया है।
2. कार्यशाला में सहकारिता से जुड़ी देश भर से आई करीब 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया। सिंह ने कहा कि भारत की सवा सौ करोड़ की आबादी में ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं और उनकी जीविकोपार्जन की साधन खेती है। इनमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहती है। फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तथा इसके बाद की गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
3. महिला सशक्तिकरण के लिए देशभर में स्थापित 668 कृषि विज्ञान केंद्रों में कम से कम एक महिला वैज्ञानिक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गयी है। इन केंद्रों में महिला किसानों के प्रशिक्षण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। कृषि मंत्रालय ने हर वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में बनाने का फैसला किया है।
4. मात्स्यकी क्रियाकलापों में मत्स्य बीज एकत्र करना, छोटी मछली पकड़ना, मुसेल, खाने योग्य ऑॅप्स्टर, समुद्री अपतृण एकत्र करना, मत्स्य विपणन, मत्स्य प्रसंस्करण और उत्पाद विकास इत्यादि से सक्रिय रूप से जुड़ी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मात्स्यकी क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी और भागीदारिता को और बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण और पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराया जाता है।

दुश्मनों के होश उड़ाएगी 'सोल्टम'

अब पहाड़ों के पीछे छिपा दुश्मन सरहद पर हमला करेगा तो बच नहीं पाएगा। उसे तबाह करने के लिए ताकतवर तोप सेना को जल्द उपलब्ध होगी। आर्मी के ट्रॉयल में आयुध निर्माणी कानपुर व फील्ड गन फैक्ट्री द्वारा निर्मित श्सोल्टमश तोप पास हो गई है। बालासोर उड़ीसा में इसने 38 किलोमीटर दूरी तक मार करके दिखाया है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में सेना का ट्रॉयल पूरा हो गया, इसकी रिपोर्ट में सेना ने इस तोप पर सहमति प्रकट की है। अब रक्षा मंत्रालय तोप का आर्डर दोनों आयुध निर्माणियों को जल्द देगा। बता दें कि यह तोप इजराइल तकनीक से तैयार की गई है। यह दूसरे तोपों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मारक सिद्ध हुई है। पहाड़ के पीछे इलाके में इस तोप को मूव करके हमला करने की महारत हासिल है। आयुध निर्माणी कानपुर के वरिष्ठ महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने बताया कि दो निजी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के बीच सोल्टम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही हर मौसम में भी इसको आजमाया गया है। उसमें भी इसे सफलता मिला है। यह अब पास हो चुकी है, आगे का निर्णय मंत्रालय को लेना है।

सोल्टम तोप की खासियत

1. तकनीक : इजराइल
2. वजन : 7.7 टन
3. लंबाई : 11.73 मीटर
4. चौड़ाई : 2.45 मीटर
5. ऊँचाई : 2.55 मीटर
6. कैलीबर : 130 मिलीमीटर
7. कैरिज : स्प्लीट ट्रैल
8. मारक क्षमता : 27.5 से 38 किलोमीटर तक

अभी तक आयुध निर्माणी कानपुर सोल्टम तोप की बैरल बनाती है जबकि फील्ड गन फैक्ट्री विच ब्लाक व ब्रिच..रग। फील्ड गन फैक्ट्री में बनने वाले दोनों उपकरण बैरल में गोले को मूव करने के लिए लगाए जाते हैं। चूंकि ओएफसी का वर्क लोड अधिक है, इसलिए अब फील्ड गन फैक्ट्री बैरल बनाने का काम भी करने जा रही है। फील्ड गन फैक्ट्री अब इसके लिए इच्छापुर फैक्ट्री से भी सहायता लेगी।

सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के मामले लंबित

कई सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच लंबित पड़ी हुई है। खास बात यह है कि इस सूची में रेलवे शीर्ष पर है। केंद्रीय सरकार आयोग (सीवीसी) के आंकड़ों के मुताबिक, रेलवे में भ्रष्टाचार के 730 मामलों की जांच लंबित है, जिनमें 350 वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े हैं। इसी तरह, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में 526, इंडियन ओवरसीज बैंक में 268 और दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार के 193 मामलों की जांच लंबित है।

क्या है

1. आंकड़े बताते हैं कि इसी तरह के 164 मामले भारतीय स्टेट बैंक में, 128 बैंक ऑफ बड़ौदा में व 82 बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लंबित हैं। दूसरी तरफ, पंजाब नेशनल बैंक में 100, सिंडीकेट बैंक में 91, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 50, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में 47, प्रसार भारती में 41, कॉरपोरेशन बैंक में 36, एयर इंडिया में 26, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 30 और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में 02 मामले अनुशासनात्मक जांच के लंबित हैं।
2. ये आंकड़े सीवीसी की अपनी ओर से की गई पहल पर आधारित हैं, ताकि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में तेजी लाई जा सके। दरअसल, सीवीसी ने विभिन्न सरकारी विभागों से एक निर्धारित प्रारूप में वरिष्ठ और कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के लंबित मामलों का व्योग तलब किया था। जवाब में आयोग को 290 संगठनों की ओर से जानकारी मुहैया कराई गई है।
3. सीवीसी की ओर से सभी विभागों को जारी निर्देश में कहा गया है कि आयोग समय-समय पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अनुशासनात्मक प्रक्रिया तेजी से पूरी करने की जरूरत पर बल देता रहा है।
4. इसके मुताबिक, श्वार-बार कहे जाने के बावजूद यह देखा गया है कि इस कार्य के प्रति संबंधित अनुशासनात्मक अधिकारी जरूरी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस बजह से मामलों को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलंब होता है।

5. लिहाजा, विभिन्न संगठनों के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि ऐसी सभी लंबित रिपोर्टें को जल्द से जल्द पूरा करें। इन निर्देशों की अवज्ञा को प्रतिकूल व्यवहार माना जाएगा।

शिक्षा नीति पर नई समिति का गठन

गौरतलब है कि भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने इस बात के संकेत दिये हैं कि नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिये बहुत जल्द एक नई समिति का गठन किया जाएगा। ध्यातव्य है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिये पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जो अपनी रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है। हालाँकि, अब एक नई समिति के गठन के सन्दर्भ में सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति को अमल में लाने से पहले बहुत सी समितियों का सुझाव लेना सुनिश्चित किया गया है और सुब्रह्मण्यम समिति का गठन भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जाहिर सी बात है, देश में शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर प्रभावशाली बनाने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है और इसके लिये तुरत-फुरत में कोई कदम उठाने के बजाय सभी पहलुओं पर गैर करने की आवश्यकता है।

सुब्रह्मण्यम समिति की प्रमुख सिफारिशें-

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर ही एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा (पद्कपद मकनबंजपवद 'मतअपबमः' ऐ) की स्थापना की जाए, जिसमें कैडर नियंत्रण का दायित्व मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का हो।
2. समिति ने सुझाव दिया है कि बिना किसी विलम्ब के शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम 6 प्रतिशत खर्च किया जाए।
3. वर्तमान बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर 50% अंक प्राप्त करने की न्यूनतम पात्रता शर्त होनी चाहिये। सभी शिक्षकों की भर्ती के लिये शिक्षक प्रवेश परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करनी चाहिये। टीईटी के लिये केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से मानदंडों और मानकों का निर्धारण करना चाहिये।
4. सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षकों के लिये अनिवार्य लाइसेंस या प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिये, प्रत्येक 10 वर्षों में स्वतंत्र एवं बाहरी परीक्षण के आधार पर इस लाइसेंस के नवीकरण का प्रावधान किया जाए।
5. 4 से 5 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों के लिये स्कूल जाने से पहले दी जाने वाली शिक्षा को भी 'शिक्षा के अधिकार' के अंतर्गत लाया जाना चाहिये और इसके लिये तुरंत एक कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिये। गौरतलब है कि वर्तमान में 'शिक्षा के अधिकार' के दायरे में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा शामिल है।
6. बच्चों को फेल नहीं करने की नीति जारी रहनी चाहिये लेकिन पाँचवीं तक ही, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों को फेल करने की नीति बहाल की जाए। साथ में फेल हुए बच्चे को उपचारी शिक्षा देने की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाना चाहिये और उन्हें अगले दर्जे में जाने की अपनी योग्यता सिद्ध करने के कम से कम दो मौके दिये जाने चाहिये।
7. छात्रों की असफलता दर में कमी लाने के लिये गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी में 10वीं कक्षा की परीक्षा दो चरणों में लेने का सुझाव दिया गया है। इसमें पहला भाग उच्च स्तर पर (भाग 'ए') और दूसरा भाग निम्न स्तर पर (भाग 'बी' होगा)। 10वीं कक्षा के बाद के वैसे पाठ्यक्रमों जिनमें विज्ञान, गणित या अंग्रेजी जैसे विषयों की ज़रूरत नहीं होगी, उनमें शामिल होने के इच्छुक छात्र भाग-'बी' स्तर की परीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं।
8. मिड-डे-मील योजना का विस्तारण करते हुए इसमें दसवीं तक के बच्चों को शामिल किया जाए, यह आवश्यक इसलिये है क्योंकि किशोरों में भी कृपोषण की समस्या अधिक है।
9. देश के संस्थानों को विश्व के श्रेष्ठ संस्थानों की सूचि में स्थान नहीं मिलने को देखते हुए समिति ने उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये सुझाव दिया कि विदेश के उच्च गुणवत्ता वाले शीर्ष 200 संस्थानों को भारत में आने की अनुमति दी जानी चाहिये। लेकिन ऐसे संस्थानों को उचित नियंत्रण के साथ यह अनुमति मिले।
10. समिति ने कौशल बढ़ाने वाली और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर भी जोर दिया है। यूजीसी और एआईसीटीई को शामिल कर शिक्षा के लिये रेग्लेटरी तंत्र बनाने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही यूजीसी को चुस्त-दुरुस्त बनाने की बात भी कही गई है।

गोवा में हुआ सबसे अधिक नोटा का इस्तेमाल

हाल के विधानसभा चुनावों में नोटा बटन का सबसे अधिक इस्तेमाल गोवा में किया गया। इस मामले में उत्तराखण्ड दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव आयोग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, गोवा में 1.2 फीसदी मतदाताओं ने नोटा (इनमें से कोई उम्मीदवार पसंद नहीं) मतदान किया।

क्या है

- उत्तराखण्ड में एक फीसदी मतदाताओं ने नोटा बटन का प्रयोग किया। जबकि उत्तर प्रदेश में नोटा का इस्तेमाल करने वाले मतदाताओं की तादाद 0.9 फीसदी रही। पंजाब में 0.7 फीसदी और मणिपुर में 0.5 फीसदी मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया।
- उत्तर प्रदेश में 4,800 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। गोवा में 250 से अधिक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे।
- उत्तराखण्ड में 600 से अधिक और पंजाब में 1,100 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में थे। मणिपुर में करीब 100 प्रत्याशी जौर-अजमाइश कर रहे थे।
- उत्तर प्रदेश में 403, गोवा में 40, उत्तराखण्ड में 70, मणिपुर में 60 और पंजाब में 117 और विधानसभा सीटें हैं।

जल क्रांति अभियान

पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नदियों के बहाव पर निगरानी रखने और पानी को प्रदूषण से बचाने के लिये सरकार ने महत्वकांकी 'जल क्रांति अभियान' योजना के तहत अब जल की कमी वाले 726 गाँवों की 'जल ग्राम' के तौर पर पहचान की है। विदित हो कि प्रत्येक गाँव को 'इंडेक्स वैल्यू' प्रदान की जाएगी, जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगी।

क्या है

- उल्लैखनीय है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने देशभर में एक समग्र एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से सभी हितकारकों को शामिल कर जन आंदोलन द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन को संघटित करने के लिये 05 जून, 2015 को जल क्रांति अभियान का शुभारंभ किया था।
- जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य, सहभागी सिंचाई प्रबंधन के लिये पंचायती राज संस्थाओं और स्था नीय इकाइयों सहित जमीनी स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी को सुदृढ़ करना है।
- इस अभियान के अंतर्गत जल क्रांति के चार घटक हैं। इनमें जल ग्राम योजना, मॉडल कमांड क्षेत्र का विकास, प्रदूषण को रोकना और जन जागरूकता पैदा करना शामिल है।
- जल ग्राम योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में जल संकट से प्रभावित दो गाँवों का चयन कर उनके लिये समग्र जल सुरक्षा योजना को सूत्रबद्ध करना है।

क्या है वर्तमान स्थिति

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक जिले में पानी की अत्यधिक कमी वाले 2 गाँवों को 'जल ग्राम' का नाम दिया जा रहा है।
- इस योजना के तहत अब तक पहचान किये गए 726 गाँवों में से 180 गाँवों के लिये समर्कित जल सुरक्षा योजना तैयार कर ली गई है।
- जल ग्राम योजना के तहत जल ग्राम का चयन और इसका कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक गाँव को एक इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जाएगी जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगा और सबसे अधिक इंडेक्स वैल्यू वाले गाँव को जल क्रांति अभियान में शामिल किया जाएगा।
- जल ग्राम योजना के तहत संबंधित महिला पंचायत सदस्यों को जल मित्र बनने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- प्रत्येक जल ग्राम में 'सुजलम कार्ड' के रूप में एक जल स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जा रहा है जो गाँव के लिये उपलब्ध पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता के बारे में वार्षिक सूचना प्रदान करेगा।

#IAmNewIndia कैंपेन लॉन्च किया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नयो ऐप पर एक कैंपेन की शुरुआत की है। '#IAmNewIndia' नाम के इस कैंपेन को राष्ट्र निर्माण की ओर एक कदम बताया गया है। यह कैंपेन में नया भारत' बनाने का संकल्प है। पीएम मोदी ने इसी तरह पिछली दिवाली पर 'संदेशांगोल्जर' नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की थी।

क्या है

1. इस कैपेन से देश के सैन्य बलों के प्रति लोगों ने अपने संदेश देकर स्नेह व्यक्त किया था। पीएम मोदी ने देश के लोगों को नौ संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए होली के अवसर पर इस कैपेन की शुरुआत की है।
2. इन नौ लक्ष्यों में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अधिक कैशलेश ट्रॉजैक्शन करने का संकल्प और महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास शामिल है।
3. पीएम मोदी ने ट्रिवटर पर लिखा कि 2022 तक हमलोग भारत को एक ऐसा देश बनाएंगे जिसपर गांधी, पटेल और आम्बेडकर को गर्व होगा। पीएम ने कहा, शभारत अपने प्रत्येक नागरिक की ताकत से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव नवाचार, कड़ी मेहनत और युवाओं की रचनात्मकता से आ रहा है और आता रहेगा।
4. उन्होंने कहा कि जिस तरह के भारत की कामना है उसमें महिलाएं और किसान वास्तविक रूप से सशक्त हों। ऐसा भारत हो जहां भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कालाधन और गंदगी न हो। साथ ही इसकी पहचान शांति, एकता और भाईचारे से हो।

नमामि गंगे की सफलता के लिए राष्ट्रीय मिशन एवं रोटरी इंडिया के मध्य समझौता

अधिक से अधिक स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करते हुए नमामि गंगे कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने के प्रयास में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने २ मार्च 2017 को रोटरी इंडिया के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

क्या है

1. रोटरी इंडिया विभिन्न विद्यालयों में ‘स्कूलों में धुलाई’ कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छ गंगा मिशन का समर्थन करेगा।
2. केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती नमामि गंगा कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी पर बल देती रही है।
3. इस सहमति ज्ञापन से गंगा संरक्षण विषय को रोटरी के ‘स्कूलों में धुलाई’ कार्यक्रम से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। अधिक से अधिक लोगों तथा समुदाय तक पहुंचने पर बल दिया जाएगा।
4. रोटरी का यह कार्यक्रम बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल के नाडियाड जिले में गंगा नदी से लगे स्थानों के सरकारी स्कूलों में चलाया जाएगा।
5. यह कार्यक्रम अन्य राज्यों में भी चलाया जाएगा जहां रोटरी इंडिया की मजबूत उपस्थिति है।
6. रोटरी इंडिया गंगा संरक्षण के बारे में स्कूलों और समुदायों में जागरूकता गतिविधियां और अभियान चलाएगा और इससे नदी में बहते प्रदूषण में कमी आएगी।
7. एनएमसीजी तथा रोटरी के बीच यह सहयोग गंगा संरक्षण में हितधारकों और समुदायों को शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
8. इस सहयोग से रोटरी इंटरनेशनल की शक्ति बढ़ेगी और एनएमसीजी की ओर से कोई अतिरिक्त वित्तीय वचनबद्धता नहीं निभानी होगी।
9. कार्यक्रम में लक्षित सरकारी विद्यालयों में जल, स्वच्छता और साफ-सफाई सेवाओं को लागू करना और स्कूली बच्चों, शिक्षकों, स्कूल प्रबंधन समुदाय का समितियों तथा सभी हितधारकों को स्वच्छता पर जागरूकता में सुधार के लिए सार्थक स्वास्थ्य व्यवहारों को अपनाने में संवेदी बनाना है।
10. यह लक्ष्य सीखने के एकीकृत माहौल तथा बच्चों को परिवर्तन के एजेंट के रूप में सक्षम बनाने से प्राप्त किया जा सकता है। रोटरी इंडिया की योजना 20,000 सरकारी स्कूलों में सफाई कार्यक्रम चलाने की है।

निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारी दायित्व समाप्ति) कानून, 2017

सरकार ने नोटबंदी के पश्चात अमान्य हो चुके नोटों को रखने, उनके बारे में गलत सूचना देने और उनके इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिवर्धित करने के लिए एक नया कानून निर्मित किया है। इस कानून को 'निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारी दायित्व समाप्ति) कानून, 2017' के नाम से पारिभाषित किया गया है।

क्या है

1. संसद ने हाल ही में निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारी दायित्व समाप्ति) कानून, 2017 पारित किया है।
2. ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 27 फरवरी 2017 को इस कानून पर दस्तखत किये थे।
3. इसके माध्यम से सरकार ने अमान्य हो चुके पुराने 10 से अधिक नोट रखने वालों को दंडित करने के प्रावधान बाले कानून को अधिसूचित या है।
4. विदित हो कि इस कानून के तहत ऐसे लोगों पर न्यूनतम 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
5. इस कानून को पारित करने का उद्देश्य 500 और 1,000 रुपये के बंद किए जा चुके नोटों का इस्तेमाल पूरी तरह निषेध करना एवं इनके प्रयोग के माध्यम से समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाने की आशंका को सर्वथा समाप्त करना है।
6. उल्लेखनीय है कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इन नोटों को बैन कर दिए जाने के बाद इन नोटों को बैंकों में जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर निर्धारित की गई थी। इसके बाद 31 मार्च तक इन नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने का प्रावधान किया गया था।
7. इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि नोटबंदी की अवधि (9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016) के दौरान कोई व्यक्ति विदेश में था और इस बारे में वह कोई गलत घोषणा करता है तो उस पर कम से कम 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद इन नोटों पर सरकार और रिजर्व बैंक का देनदारी दायित्व भी समाप्त हो गया है।

भारत की पहली वातानुकूलित रेल एंबुलेंस की शुरूआत

मध्य रेलवे ने भारत की पहली वातानुकूलित रेल एंबुलेंस की शुरूआत की है जिसे ट्रेन दुर्घटना के बक्त घायल सवारियों की मदद के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। इसके जरिए समय पर पहुंचकर घायलों का उपचार किया जा सकेगा।

क्या है

1. यह रेल एंबुलेंस कई तरह के मेडिकल सुविधाओं से लैस है जिसमें एक समय में कम से कम पचास लोगों का शुरूआती उपचार किया जा सकता है।
2. यह वातानुकूलित एंबुलेंस खासकर उस बक्त काफी मददगार साबित होगा जब अंग प्रत्यारोपण के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाएगा। रेलवे का ग्रीन कॉरिडोर ड्राईवर को दान किए गए अंग को रोड की तुलना में इसके जरिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में काफी मददगार होगा और इसमें ना लोग और ना ही ट्रैफिक को किसी तरह की कोई परेशान होगी।

इस ट्रेन की खास बातें

1. यह चार कोच वाली पूरी तरह से वातानुकूलित एंबुलेंस है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सभी सुविधाएं हैं।
2. यह विचार महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मई 2014 में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद आया जिसमें 19 सवारियों की जानचली गई थी जबकि 145 लोग इस हादसे में घायल हो गए थे।
3. इस वातानुकूलित रेल एंबुलेंस में पचास लोगों को उपचार किया जा सकेगा या फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकेगा।

स्वच्छ ऊर्जा के लिये वाईकॉम का नया सत्याग्रह

केरल में कोट्टायम जिले के उत्तर-पूर्व में स्थित सत्याग्रह की धरती वाईकॉम ने 12 जनवरी, 2017 को एक बार फिर इतिहास रचा। ध्यातव्य है कि 'आदित्य' नाम से भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका सेवा को वाईकॉम तथा थवंकंकारडावू के बीच शुरू किया गया है, जो कोट्टायम और अलाप्पु झा जिलों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगी। इस सौर

ऊर्जा चालित नौका को केरल राज्य परिवहन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है, जिसे केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में सब्सिडी प्रदान की गई है:-

प्रमुख बिंदु

1. सामान्यम दिनों में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली यह नौका 5-6 घंटे की यात्रा करने में सक्षम है।
2. यह परियोजना केरल जैसे राज्य के लिये वास्तव में एक वरदान साबित होगी, जहाँ बड़ी मात्रा में जल परिवहन का इस्तेयमाल किया जाता है।
3. 20वीं शताब्दीज की शुरुआत के दौरान (1925 से 1930 के बीच) वाईकॉम को सत्या ग्रह आयोजन स्थरल के रूप में जाना जाता था, जिसका उद्देश्य श समाज के सभी वर्गों को वाईकॉम मंदिर तक मुक्त आवाजाही प्रदान करना था।
4. विदित हो कि यह केरल के इतिहास में एक महान सामाजिक क्रांति थी।
5. 9 मार्च, 1925 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भी सत्याग्रह आन्दोलन के लिये वाईकॉम तक पहुँचने हेतु वाईकॉम नौका घाट का प्रयोग किया गया था।

क्या है 'आदित्य' नौका

1. 'आदित्य' भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संचालित नौका है, जिसकी क्षमता 75 सीटों की है।
2. इस पोत को केरल के इंजीनियर सांदिध थंडाशेरी द्वारा डिजाइन किया गया है, जो सौर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं।
3. नौका के विकास और डिजाइन के लिये प्रमुख प्रौद्योगिकी एवं सहायता, एक फ्रांसीसी फर्म द्वारा प्रदान की गई है।
4. ध्यातव्य है कि यह नौका 20 मीटर लंबी और 7 मीटर बीम के साथ 3.7 मीटर ऊँची है।
5. इसकी एक अन्यक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका निर्माण लकड़ी और इस्पात की जगह फाइबर से किया गया है।
6. नाव की छत पर 78 सोलर पैनल लगाए गए हैं य सोलर पैनल को 20 किलोवाट की 2 इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ जोड़ा गया है।
7. इसके अतिरिक्त नाव में 700 किलोग्राम की लीथियम आईएन बैटरी लगाई गई है, जिसकी क्षमता 50 किलोवाट की है।
8. नौका के ढाँचे को इस तरह से विकसित किया गया है कि रफ्तार 7.5 नॉटिकल/घंटा तक पहुँच सकती है।
9. उल्लेखनीय है कि इसे भारत सरकार की जहाजरानी सर्वेक्षक और केरल पोत सर्वेक्षक के तकनीकी समिति द्वारा सत्या पित किया गया है।
10. इसकी सामान्य संचालन गति 5.5 नॉटिकल/घंटा (10 किलोमीटर प्रति घंटा) है, जो वाईकॉम थवंकाईडावू के बीच की 2.5 किलोमीटर की दूरी को 15 मिनट में तय करने में सक्षम है।

अंतर्राष्ट्रीय

तापी गैस लाइन पर कार्य शुरू

दक्षिण एशिया में ऊर्जा की कमी को दूर करने में अहम भूमिका अदा करने वाली 1,680 किलोमीटर लंबी तापी गैस पाइपलाइन पर पाकिस्तान में 3 मार्च 2017 से काम शुरू हो गया। यह परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत (तापी) को जोड़ेगी।

क्या है

1. दस अरब डॉलर (66,705 करोड़ रुपये) लागत वाली इस गैस पाइपलाइन पर चारों देशों के नेताओं ने दिसंबर 2015 में हस्ताक्षर किये थे।
2. परियोजना के प्रबंधन लिए बनी तापी कंपनी का जर्मनी की कंपनी आइएलएफ से समझौता हुआ है। पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से शुरू होकर आगे बढ़ेगी। मोबाइल सौलत ने विश्वास जताया है कि परियोजना निर्धारित समय से पूरी होगी।

3. परियोजना में तुर्कमेनिस्तान 25 अरब डॉलर (16,500 करोड़ रुपये) का निवेश करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को गैस की आपूर्ति करेगा।
4. परियोजना में 15 अरब डॉलर गैसफील्ड के विकास में खर्च होंगे जबकि दस अरब डॉलर पाइपलाइन बनाने पर खर्च किये जाएंगे। परियोजना पूरी होने पर भारत और पाकिस्तान को 1.325 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस पर डे (बीसीएफडी) और अफगानिस्तान को 500 मिलियन फीट पर डे गैस मिलेगी।

ईरान ने अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली का किया सफल परीक्षण

ईरान ने रूस द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। ईरान की सरकारी समाचार समिति आईआरएनए की एक खबर के मुताबिक हाल ही में दमावंद नाम के सैन्य अभ्यास के दौरान एस-300 प्रणाली का परीक्षण किया गया। दमावंद ईरान का सबसे ऊचा पर्वत है।

क्या है

1. रक्षा प्रणाली ने उड़ान के समय मिसाइल समेत कई वस्तुओं को लक्ष्य बनाया। 200 किलोमीटर तक की क्षमता वाली एस-300 कई लक्ष्यों का पता लगाने और उनपर निशाना साथने में सक्षम है।
2. रूस ने शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब दस वर्ष बाद 2016 में ईरान को एस-300 प्रणाली सौंपी थी।
3. ईरान ने 2007 में एस-300 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए 800 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन अमेरिका और इस्राइल की कड़ी आपत्तियों के कारण रूस ने इसकी आपूर्ति में तीन साल की देरी की।
4. वर्ष 2016 में ईरान और विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच अहम परमाणु समझौता लागू हुआ जिसके तहत ईरान को अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटवाने के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना है।

सिल्कन रूट को मदद देगा दुनिया का सबसे लंबा पुल

कुवैत सिटी में दुनिया का सबसे लंबा पुल बन रहा है। इस पुल के जरिए कुवैत इतिहास में दर्ज हो चुके सिल्क रूट को फिर से सामने लाने में जुटा हुआ है। इससे सिल्के सिटी के व्या पार में भी तेजी दिखाई देगी। कच्चे तेल की उपलब्धिपता वाले कुवैत के सुबैया क्षेत्र में बन रहा यह पुल 36 किमी (22 मील) लंबा है। इसका तीन चौथाई हिस्साल पानी के ऊपर बना हुआ है।

क्या है

1. इसके पूरी तरह से बनने के बाद कुवैत सिटी से सुबैया की दूरी बेहद कम हो जाएगी। फिलहाल इस दूरी को तय करने में तीन घंटे का समय लगता है, लेकिन एक बार इस पुल के चालू हो जाने से इसमें महज 25 मिनट का समय लगेगा।
2. इस पुल के निर्माण पर अनुमानित लागत करीब 100 बिलियन डॉलर है। वहाँ दूसरी और सुबैया में भी 5000 मेगावाट का पावर प्लाट पहले ही बन कर तैयार हो चुका है।
3. इस पुल को शेख जबेर अल अहमद अल सबाह का नाम दिया गया है। उनकी मृत्युस जनवरी 2006 में हुई थी। यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ज्वा इंट वेंचर है।
4. इस पुल के चालू हो जाने के बाद सरकार सुबैया समेत इसके चारों तरफ एक और इकनॉमिक वैंचर का प्लान कर रही है। इसके अलावा एक कंटेनर पोर्ट का भी काम वहाँ पर चल रहा है। यह कुवैत के सबसे बड़े द्वीप बुबियान में बन रहा है।

भारत अस्थायी रूप से वीटो का अधिकार छोड़ने को तैयार

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए भारत सहित जी4 के अन्य देश वीटो के अधिकार को कुछ समय के लिए छोड़ने को तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयास के तहत जी4 देशों ने कहा है कि वे नए विचारों के लिए तैयार हैं और स्थायी सदस्य के तौर पर अस्थायी रूप से वीटो का अधिकार नहीं होने के विकल्प को लिए भी तैयार हैं।

क्या है

1. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि सैयद अकबरूदीन ने अंतर सरकारी वार्ता बैठक में एक संयुक्त बयान में कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए बड़ी संख्या में सदस्य देश स्थायी और अस्थायी सदस्यता के विस्तार का समर्थन करते हैं। जी-4 में भारत के अलावा ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं।
2. सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों के बीच 'प्रभाव का असंतुलन' है और गैर स्थायी श्रेणी में विस्तार करने भर से समस्या हल नहीं होगी। बयान में आगे कहा गया है, 'वास्तव में यह स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों के बीच

अंतर को और गहरा करेगा।' बीटो के मुद्दे पर जी4 ने कहा उनका मानना है कि प्रतिबंध लाने पर-बीटो का मामला मात्रात्मक न हो कर गुणवत्ता का है।

3. यूएनएससी में सुधार और उसके बाद स्थायी सदस्यता के लिए भारत की मुहिम को ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों सहित संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्यों से मजबूत समर्थन मिला है। ये देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विश्व संस्था की शीर्ष इकाई को निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए, जो नई वैश्विक शक्तियों को प्रतिबिवित करे।
4. संयुक्त रूप से दावेदारी करने के कारण जी4 देशों की स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन गुट के सदस्य देशों के क्षेत्रीय विरोधी, गुट के अन्य दावेदारों के प्रति भी उदासीनता दिखा रहे हैं।
5. चीन नहीं चाहता है कि जापान स्थायी समिति का सदस्य बने और इटली को जर्मनी की दावेदारी पसंद नहीं आ रही है। इसी तरह पाकिस्तान भारत की दावेदारी को कमज़ोर बनाना चाहता है।

भारत-सिंगापुर के बीच अमल में आया डीटीएए

भारत सिंगापुर के बीच दोहरे कराधान समझौता (कवनइसम जं अवपकंदबम हतममउमदज-क्ज॥) अमल में आ गया है, जिससे दोनों ही देशों को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होने की पूरी सम्भावना है। डीटीएए संशोधन के इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये जाने से भारत और सिंगापुर के बीच कर स्थिरता सुनिश्चित होगी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इससे दोनों देशों के बीच पारदर्शिता के साथ ही निवेश, प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं का प्रवाह बढ़ेगा।

क्या है

1. विदित हो कि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिये भारत और सिंगापुर ने एक तीसरे प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके दोहरे कराधान से बचाव संबंधी समझौते (डीटीएए) में संशोधन करने का फैसला किया था।
2. संशोधन के अंतर्गत भारत ने राजस्व की हानि और काले धन को वापस लाने संबंधी समस्याओं के हल के रूप में जानकारी के आदान-प्रदान को स्वतःआधारित बनाने पर जोर दिया था।
3. भारत और मॉरीशस के बीच डीटीएए में संशोधन से संबंधित एक ऐसा ही समझौता पहले ही अमल में आ चुका है, जिसमें भारत को मॉरीशस के रास्ते होने वाले निवेश पर पूँजीगत लाभ कर लगाने का अधिकार मिल गया था।
4. मानक लेखा प्रक्रियाओं द्वारा कर पारदर्शिता को सुधारने के उद्देश्य से आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के सदस्य देशों के साथ दो दशक लंबी वार्ताओं के बाद डीटीएए समझौता संपन्न हो पाया है। भारत सहित दुनियाभर के 101 देश डीटीएए समझौते को लेकर प्रतिबद्ध हैं।
5. ओईसीडी नियमावली के अनुसार, इन सभी 101 देशों के बैंक दूसरे देशों के लोगों की पहचान करके उनसे जुड़ी जानकारियाँ संबंधित देशों के कर विभागों को उपलब्ध कराएंगे। विदित हो कि ये सूचनाएँ अन्य देशों के साथ हर साल साझा की जाएंगी। इसके तहत लोगों के बैंक खातों, खातों से संबंधित ब्योरे, खाते में अर्जित आय और खाताधारक की पहचान से संबंधित जानकारियाँ स्वतः साझा की जाएंगी।
6. ध्यातव्य है कि पनामा, बहामास, मॉरीशस, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों को आमतौर पर 'टैक्स हैवेन' माना जाता है, यहाँ लोग कर चोरी से बचाए गए अपने काले धन को जमा करते हैं। भारत जहाँ मॉरीशस से पहले ही ऐसे समझौते को अमल में ला चुका है वहीं अब यह घटनाक्रम काले धन पर अंकुश लगाने के क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
7. सिंगापुर से भारत के पूँजी बाजार में विदेशी निवेश का बड़ा हिस्सा आता है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 के मार्च-अप्रैल की अवधि में भारत में विदेशी निवेश के मामले में सिंगापुर पहले स्थान पर था। भारत और सिंगापुर द्वारा अमल में लाए जा रहे डीटीएए का यह तीसरा प्रोटोकाल संशोधन, शेयरों के हस्तांतरण से उत्पन्न पूँजी को स्रोत आधारित कराधान प्रदान करने के लिये 1 अप्रैल, 2017 से लागू हो जाएगा।
8. वर्तमान में भारत-सिंगापुर डीटीएए, एक कंपनी में शेयरों पर पूँजीगत लाभ के लिये निवास आधारित कराधान प्रदान करता है। वर्ष 2019 से सिंगापुर, सिंगापुर में भारतीयों द्वारा किये गए निवेश की जानकारी भारत को देगा और इससे कर चोरी के एक प्रचलित माध्यम को बंद किया जा सकता है।

पाक संसद में पारित हुआ हिंदू विवाह अधिनियम

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से जुड़े बहुप्रतीक्षित विवाह कानून को संसद से मंजूरी मिल गई है। संसद में हिंदू विवाह कानून 2017 सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस कानून के बन जाने से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा मिल जाएगी।

क्या है

1. कानून को पारित होने से पहले लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। नेशनल असेंबली में दूसरी बार यह विधेयक पारित हुआ है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में संसद ने इस कानून को पारित कर दिया था। लेकिन बाद में सीनेट ने इसमें कुछ बदलाव कर दिए थे। नियमानुसार, कोई भी विधेयक तभी राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है, जब दोनों सदनों से समान प्रति को ही पारित किया गया हो।
2. अब दोनों सदनों से विधेयक के अंतिम स्वरूप को मंजूरी मिल गई है। कानून बनने के बाद यह तीन प्रांतों पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लागू होगा। सिंध प्रांत पहले ही अपने यहां हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर चुका है।
3. इस कानून को पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को मुस्लिमों के शनिकाहानामेश की तरह शादी के प्रमाण के तौर पर शशादीपत्रता दिया जाएगा।
4. विधवाओं को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेने में शादी का पंजीकरण काम आएगा। शादी के लिए हिंदू जोड़े की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है।
5. कानून के मुताबिक, अलग होने के लिए हिंदू दंपती अदालत से तलाक का अनुरोध भी कर सकेंगे। तलाक ले चुके व्यक्ति को इस कानून के तहत फिर से विवाह का अधिकार दिया गया है।
6. इसके अलावा हिंदू विधवा को पति की मृत्यु के छह महीने बाद फिर से शादी का अधिकार होगा। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी वहां की जनसंख्या का करीब 1.6 फीसद है।

पाकिस्तान दिवस परेड में चीन, तुर्की के सैनिक शामिल होंगे

पाकिस्तान दिवस परेड में पहली बार चीन और तुर्की सेना की टुकड़ियां भाग लेंगी। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक ट्रीट में कहा कि चीनी जवान 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह में होने वाली परेड में हिस्सा लेंगे।

क्या है

1. ‘तुर्की सेना का बैंड भी परेड में हिस्सा लेगा।’ यह पहली बार है कि चीन और तुर्की के जवान इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं।
2. पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियां परेड के अभ्यास के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच संघीय राजधानी पहुंची हैं।
3. पाकिस्तान में बीते कुछ समय में आतंकवाद की वजह से सैन्य परेड को रोक दिया गया था, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अभियान जर्ब-ए-अज्ब की सफलता के बाद सात साल के अंतराल के बाद 2015 में परेड को फिर शुरू किया गया।

पाक-चीन के खिलाफ बलूचों ने UN दफ्तर में किया प्रदर्शन

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ऐक्टिविस्टों ने जिनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर पाक के खिलाफ प्रदर्शन किया। बलूच प्रदर्शनकारियों ने इलाके में पाकिस्तान की ओर से स्थानीय लोगों के उत्पीड़न और चीन की ओर परियोजनाओं की स्थापना का विरोध किया।

क्या है

1. प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान में मानवाधिकर के उल्लंघनों पर नजर रखने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने की मांग की।
2. प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे मेहरान मर्ही ने कहा, चीन को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी दोस्ती नहीं निभाई। पाक से दोस्ती में उसकी ही अंगुलियों के जलने का खतरा है।
3. मेहरान ने कहा, शबीते 4 से 5 महीनों में बलूचिस्तान में स्थिति बहुत बदतर हो गई है। पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसियां हमारे बच्चों और महिलाओं का अपहरण तक कर रही हैं।
4. बलूच प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को लेकर यूरोपीय संसद के वाइस प्रेजिडेंट रिजार्ड जारनेकी ने कहा, श्यूरोपियन यूनियन के लिए पाकिस्तान की ओर से इस तरह की हिंसा किया जाना स्वीकार्य नहीं है।

5. गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है, जब बलूचिस्तान के प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। इससे पहले बीते साल 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी के संबोधन में बलूचिस्तान में पाक की ओर से अमानवीयता के मुद्दे को उठाए जाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन किया था।

पाकिस्तान की सार्क में वापसी

पिछले कुछ समय से भारत द्वारा निरंतर गतिरोध पैदा करने के बावजूद पाकिस्तान आखिरकार सार्क में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहा है। विदित हो कि पाकिस्तान के अमजद हुसैन बी सियाल को सार्क का नया सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। हालाँकि पाकिस्तान की सार्क में इस हालिया सफलता में भारत का भी योगदान है क्योंकि अमजद हुसैन को सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन भारत ने भी किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना 7-8 दिसंबर, 1985 को ढाका में प्रथम सार्क सम्मेलन में की गई थी।
2. इस संगठन की पहल ऐसे देशों को औपचारिक रूप से एक साथ लाने के लिये की गई थी, जो पहले से ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर आपस में जुड़े हुए थे। जब सार्क की स्थापना हुई थी।
3. इस संगठन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल थे।
4. बाद में वर्ष 2007 में संगठन के आठवें सदस्य के तौर पर अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया था।
5. भारत इस संगठन का ऐसा एकमात्र सदस्य है, जिसकी चार देशों के साथ साझी जमीनी सीमा है और दो देशों के साथ साझी समुद्री सीमा है।
6. पाकिस्तान-अफगानिस्तान को छोड़ दें तो सार्क के किसी अन्य देश की किसी दूसरे देश के साथ साझी सीमा नहीं है।
7. व्यापार, वाणिज्य, निवेश आदि के संदर्भ में भारत, संभावित निवेश और तकनीक का स्रोत होने के साथ-साथ अन्य सभी सार्क सदस्यों के उत्पादों के लिये एक प्रमुख बाजार भी है।

पांचवीं जेनरेशन के एयरक्राफ्ट्स पर भारत ने रखी शर्त

रूस के साथ पांचवीं जेनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स बनाने को लेकर अरबों डॉलर की परियोजना पर काम शुरू करने से पहले भारत ने शर्त रख दी है। भारत ने कहा कि वह जॉइंट डिवेलपमेंट और प्रॉडक्शन के काम को तभी शुरू करेगा, जब रूस उसे टेक्नॉलॉजी के पूरी तरह ट्रांसफर पर सहमति जताए। भारत का कहना है कि वह सुखोई एयरक्राफ्ट वाली गलती नहीं दोहराएगा, जिसमें पूरी तरह तकनीकी हस्तांतरण नहीं हुआ था। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे हमें स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स तैयार करने में मदद मिलेगी।

क्या है

1. यह फैसला शीर्ष स्तर से लिया गया है ताकि सुखोई-30 डज्जप जेट विमानों की डील में हुई गलती को दोहराया न जा सके। 55,717 करोड़ रुपये की सुखोई डील में भारत की ओर से सबसे बड़ी चूक यह हुई थी कि वह रूस से पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण नहीं कर पाया था। यदि ऐसा होता तो भारत की घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में इजाफा होता।
2. ‘रूस के सहयोग से तैयार हो रहे 272 सुखोई विमानों में से अब तक 240 की मैन्युफैक्चरिंग एचएएल कर चुका है। हालांकि एचएएल सिर्फ असेंबलिंग कर रहा है और सभी पार्ट्स का आयात रूस से ही किया गया है। अब भी एचएएल अपने स्तर पर सुखोई की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है।’
3. एचएएल में तैयार किए जा रहे एक सुखोई एयरक्राफ्ट की लागत करीब 450 करोड़ रुपये आ रही है, जबकि रूस से आयातित एयरक्राफ्ट्स में 100 करोड़ रुपये तक कम की लागत आ रही है।
4. रूस की ओर से पांचवीं जेनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स की डील को लेकर बनाए जा रहे दबाव पर भारत का कहना है कि 127 सिंगल सीट जेट्स पर 25 अरब डॉलर की लागत पर्याप्त होगी या नहीं। दोनों देशों ने 2007 में इन एयरक्राफ्ट्स के कशर पर सहमति जताई थी, इसके बाद 2010 में 295 मिलियन डॉलर का शुरुआती डिजाइन करार हुआ था।

भारत ने रखीं ये दो बड़ी मार्गें

- पांचवीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट्स तैयार करने को लेकर भारत ने अपनी दो बड़ी मार्गें रखी हैं। भारत ने रूस से कहा है कि इस डील में टेक्नॉलॉजी के पूर्ण हस्तांतरण पर सहमति होनी चाहिए ताकि भविष्य में भारत अपने स्तर पर ही इन एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड कर सके।
- इसके अलावा रूस से पांचवीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट्स तैयार करने के स्वदेशी प्रॉजेक्ट में रूस की मदद की भी मांग की गई है।

ब्रिटिश संसद से ब्रेकिंजट बिल पारित

ब्रिटिश संसद ने ब्रेकिंजट बिल पारित कर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री टेरीजा मे को यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को बाहर निकालने की दिशा में कदम बढ़ाने का अधिकार मिल जाएगा। इस बिल पर संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लार्ड में प्रधानमंत्री को दो बार हार का सम्मान करना पड़ा था। निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ने यूरोपीय संघ (बाहर निकालने की अधिसूचना) बिल को बिना कोई बदलाव के ही पारित किया है।

क्या है

- हाउस ऑफ कॉमन्स ने पारित बिल में हाउस ऑफ लार्ड द्वारा किए गए दोनों संशोधनों को दरकिनार कर दिया। संसद के ऊपरी सदन ने सरकार से ब्रेकिंजट वार्ता शुरू होने के तीन माह के भीतर यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने की मांग की थी। दूसरे संशोधन में हाउस ऑफ लार्ड ने किसी ब्रेकिंजट समझौते पर संसद में सार्थक मतदान की मांग की थी।
- निचले सदन से पारित होने के बाद अब बिल को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पास भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री टेरीजा इसी सप्ताह लिस्ट्सब्न समझौते के अनुच्छेद 50 सैद्धांतिक रूप से काम शुरू कर सकती है। अनुच्छेद 50 में फेरबदल करने की सीमा मार्च में समाप्त हो जाएगी।
- स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्गन ने कहा कि वह संसद से स्कॉटलैंड की ब्रिटेन से स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह करने की मांग करेंगी। स्टर्गन 2018 के दूसरे और 2019 के पहले हिस्से में जनमत संग्रह करने की इच्छा है।
- इससे स्कॉटलैंड ब्रेकिंजट के बाद यूरोपीय संघ के साथ अपना रिश्ता बनाए रखने की इच्छा जाहिर कर सकेगा। यदि स्टर्गन के प्रस्ताव को संसद की मंजूरी मिलती है तो स्कॉटलैंड की आजादी पर दूसरी बार जनमत संग्रह कराया जाएगा। वर्ष 2014 में हुए जनमत संग्रह में क्षेत्र ने ब्रिटेन का हिस्सा रहने का समर्थन किया था।

अर्थव्यवस्था

जीएसटी काउंसिल ने और आइजीएसटी पर लगाई मूहर

देश में एक जुलाई 2017 से बस्तु एवं सेवा कर लागू करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल ने केंद्रीय जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी (आइजीएसटी) के विधेयकों के मसौद पर मुहर लगा दी है। काउंसिल अब 16 मार्च को होने वाली बैठक में राज्य जीएसटी और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यूटीजीएसटी विधेयकों को अंतिम रूप देगी। इसके बाद सरकार जीएसटी के लिए जरूरी चारों विधेयकों—सीजीएसटी, आइजीएसटी, यूटीजीएसटी और क्षतिपूर्ति विधेयकों को एक साथ कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर 9 मार्च से शुरू हो रहे संसद के दूसरे चरण में पेशकर पारित कराने की कोशिश करेगी। वहाँ इसके साथ-साथ अलग-अलग राज्यों की विधान सभा भी एसजीएसटी को पारित कर सकेंगी।

क्या है

- केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 11वीं बैठक में आइजीएसटी और सीजीएसटी विधेयकों के मसौद पर मुहर लगायी गयी।
- क्षतिपूर्ति विधेयक के प्रावधानों को काउंसिल उदयपुर में हुई 10वीं बैठक में पहले ही मंजूरी दे चुकी है। जीएसटी लागू होने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट सहित केंद्र और राज्यों के कई परोक्ष कर समाप्त हो जाएंगे।
- काउंसिल ने जीएसटी मॉडल विधेयक में जीएसटी की अधिकतम दर 40 प्रतिशत (20 प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी और 20 प्रतिशत राज्य जीएसटी) तय करने के प्रावधान को भी मंजूरी दी। हालांकि जीएसटी दरों की मौजूदा स्लैब रेट- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत बरकरार ही रहेंगी।
- काउंसिल ने जो भी जीएसटी की दरें तय की हैं उससे अधिक जीएसटी की दर नहीं होगी। हालांकि सरकार कर की दर बढ़ाने की युंजाइश बनाए रखने के लिए हमेशा ही अधिकतम दर को थोड़ा ऊपर रखती है। फिलहाल कस्टम कानून

- में भी ऐसा ही है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जीएसटी की अधिकतम दरों के संबंध में बार-बार संसद के पास न जाना पड़े। साथ ही राज्यों को संभावित राजस्व क्षति की भरपाई के लिए जो सेस लगाए जा रहे हैं, उन्हें भी आगे चलकर जीएसटी की दरों के साथ समाहित करने की गुंजाइश भी बनी रहेगी।
5. जीएसटी काउंसिल की अधिकारियों की एक समिति राज्य जीएसटी और यूटीजीएसटी विधेयकों को आने वाले दिनों में अंतिम रूप दे देगी जिसके बाद काउंसिल की 12वीं बैठक में उन पर मुहर लगायी जा सकेगी। इसके बाद अधिकारियों की समिति विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी की प्रस्तावित दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की श्रेणी में रखने का फैसला करेंगे। जीएसटी काउंसिल की 13वीं बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।

एसबीआई इकोफ्लैश की रिपोर्ट

बाजार अवधारणा के उलट भारत में बेरोजगारी की दर अगस्त 2016 के 9.5 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2017 में 4.8 प्रतिशत पर आ गई। देश के प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी दर में सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में आई है।

एसबीआई इकोफ्लैश की रिपोर्ट के अनुसार

1. अगस्त 2016 से फरवरी 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.1 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई।
2. मध्य प्रदेश में यह 10 प्रतिशत से 2.7 प्रतिशत, झारखण्ड में 9.5 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत, ओडिशा में 10.2 प्रतिशत से 2.9 प्रतिशत और बिहार में 13 से 3.7 प्रतिशत पर आ गई।
3. भारतीय स्टेट बैंक समूह की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कार्ति घोष की अगुवाई वाली अनुसंधान टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है, ‘हमारा मानना है कि बेरोजगारी दर में यह गिरावट प्राथमिक तौर पर सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की वजह से है।’
4. परिवारों को मनरेगा के तहत मांग और आवंटन में हुई वृद्धि भी इस रिपोर्ट में परिलक्षित होती है। अक्टूबर 2016 में जहां 83 लाख परिवारों को काम दिया गया वहीं फरवरी 2017 में बढ़कर यह आंकड़ा 167 लाख परिवारों तक पहुंच गया। इसी प्रकार मनरेगा के तहत वर्ष 2015-16 में जहां 36 लाख कार्य पूरे किये गये वहीं 2016-17 में यह संचया 40 प्रतिशत बढ़कर 50.5 लाख पर पहुंच गई। इस दौरान आंगनबाड़ी, सूखा से निपटने, ग्रामीण पेयजल और जल संरक्षण सहित विभिन्न कार्यों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।
5. गौरतत्व है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिये 48,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। वर्ष 2017-18 के तहत पांच लाख और कृषि सिंचाई तालाबों को बनाने का काम किया जायेगा, जबकि वर्ष 2016-17 में ऐसे दस लाख तालाब बनाये जाने की उम्मीद है। अकेले इसी कार्य से ग्राम पंचायतों में सूखा से निपटने की व्यवस्था की जा सकेगी।

विज्ञान और तकनीकी

12 सबसे खतरनाक ‘सुपरबग’

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार ऐसे बैक्टीरिया की सूची तैयार की है जिन पर एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर (सुपरबग) हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि यह 12 बैक्टीरिया मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं और इनके कारण हर साल लाखों लोगों की जान जाती है।

क्या है

1. इस सूची को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ताकि इनसे मुकाबले के लिए नई एंटीबायोटिक दवाएं तैयार की जा सकें। इस सूची में शामिल कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती कमज़ोर मरीजों के खून में जानलेवा संक्रमण फैला सकते हैं।
2. विशेषज्ञ कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि कुछ संक्रमणों का इलाज मौजूदा एंटीबॉयोटिक से संभव नहीं होगा। ऐसे में सामान्य संक्रमण भी जानलेवा हो जाएंगे। डब्ल्यूएचओ की डॉक्टर मेरी पॉल कीनी का कहना है कि इस सूची का मकसद लोगों में सुपरबग के प्रति डर पैदा करना नहीं है।
3. उन्होंने कहा कि इसे इसलिए तैयार किया गया है, ताकि समय रहते इनसे निपटने के लिए दवाओं के शोध एवं विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। कीनी का कहना है कि एंटीबायोटिक की प्रतिरोधक क्षमता चेतावनी के स्तर पर पहुंच

गई है और कोई नई दवा नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि इलाज के विकल्प तेजी से कम हो रहे हैं। डॉक्टर कीनी ने कहा कि यदि सिर्फ बाजार पर ही सबकुछ छोड़ दिया गया तो समय रहते नए एटीबॉयोटिक विकसित नहीं किए जा सकेंगे।

4. डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि दवा कंपनियां ऐसी ही दवाइयां विकसित करें जिन्हें बनाना सस्ता है और जिनमें मुनाफा ज्यादा है। विशेषज्ञों ने दवाइयों की प्रतिरोधात्मक क्षमता को ध्यान में रखकर नई सूची तैयार की है।

आंकड़ों पर एक नजर

1. 7 लाख लोग हर साल दुनिया में मरे जाते हैं दवारोधी संक्रमण के कारण
2. 2050 तक 10 लोगों की मौत हो सकती है, अगर यही स्थिति रही तो

चिंताजनक स्थिति

1. अमेरिका में इस समय 40 एंटीबॉयोटिक चिकित्सकीय परीक्षण के दौर में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इनमें से आधी दवाएं भी सुपरबग से मुकाबले में सक्षम नहीं हैं।
2. क्योंकि पहले समूह के रोगाणु आमतौर पर आईसीयू जैसे बेहद संवेदशील स्थानों पर होते हैं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अपना निशाना बनाते हैं।
3. दूसरी श्रेणी के बैक्टीरिया स्वास्थ्य कर्मियों के हाथों पर या उनके उपकरणों पर पाए जाते हैं, जो सही से साफ नहीं किए जाते या संक्रमित हो जाते हैं।
4. तीसरी श्रेणी के बैक्टीरिया खाद्य विषाक्तता जैसे सामान्य संक्रमणों के लिए जिम्मेदार हैं, जो कम विकसित देशों में पाए जाते हैं।
5. रोगाणुओं से मुकाबले को दवाएं समय रहते विकसित नहीं हुई तो परेशानी होगी।
6. सूची में शीर्ष पर एक क्लेबसीला नाम का बैक्टीरिया भी शामिल है।

भारत में लाई-फाई के उपयोग की व्यापक सम्भावनाएँ

लाई-फाई के सह-संस्थापक और अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हेराल्ड हास (Harald Haas) प्रकाश निष्ठा अथवा लाई-फाई (Light Fidelity & Li-Fi) तकनीक पर बहुत विश्वास करते हैंद्य इनके अनुसार, लाई-फाई से युक्त एलईडी बल्ब भी वाई-फाई (Wireless Fidelity – WI-FI) से अधिक गति से डेटा का संचारण कर सकते हैंद्य इस लेख में हम आपको लाई-फाई तकनीक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा शंकाओं के विषय में विस्तार में बताएंगेद्य

लाई-फाई क्या है?

1. लाई-फाई एक ऐसी वायरलेस तकनीक है, जिसके तहत एलईडी का प्रयोग डेटा भेजने के लिये किया जाता है। यह वाई-फाई की तुलना में सौ गुना तेजी से कार्य करती है।
2. इस तकनीक के अंतर्गत डेटा भेजने के लिये वीएलसी (टपेपइसम स्पहीज ब्लडउनदपबंजपवद ख्र टस्ट) का उपयोग किया जाता है।
3. इसकी अधिकतम गति 224 गीगाबाइट प्रति सेकेण्ड तक हो सकती हैद्य
4. एक एलईडी बल्ब में लाई फाई कैसे कार्य करता है? क्या लाई-फाई के लिये एक स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है?
5. एक एलईडी को बहुत तेजी से बंद तथा खोलकर नियंत्रित किया जा सकता है।
6. यह इतना तेज होना चाहिये कि मानव की आँख में एक स्थिर प्रकाश का ही संचारण हो। स्पष्ट है कि लाई-फाई के लिये एक स्पष्ट दृष्टिरेखा की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रदूषण के कारण हर साल जाती है 17 लाख बच्चों की जान

दुनियाभर में प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, दुनियाभर में हर साल पांच साल से कम उम्र के 17 लाख बच्चों की मौत प्रदूषण के कारण हो जाती है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल बड़ी तादाद में बच्चे वायु प्रदूषण, सिगरेट के धुएं, दूषित पानी, साफ सफाई की कमी और अपर्याप्त स्वच्छता जैसे पर्यावरणीय खतरों की चपेट में आ जाते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक

- एक महीने से पांच साल तक की उम्र के बच्चों की मौत के बड़े कारणों में हैं, मलेरिया और निमोनिया जैसी बीमारियां हैं। स्वच्छ पानी और साफ-सफाई के साथ भोजन पकाने के साधनों का इस्तेमाल कर इन बीमारियों से बचा जा सकता है।
- डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. मार्गरेट चान ने कहा, शपर्यावरण प्रदूषण घातक है, खासतौर से बच्चों के लिए। उनके विकसित होते अंग, प्रतिरोधक क्षमता और छोटे शरीर के कारण वे दूषित हवा और पानी की चपेट में आसानी से आ जाते हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों पर प्रदूषण का असर मां के गर्भ से ही पड़ने लगता है। इस कारण समयपूर्व प्रसव का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद जब ये नवजात घर और बाहर के प्रदूषण में आते हैं तब इन्हें निमोनिया होने का खतरा ज्यादा रहता है। साथ ही, जीवनभर के लिए अस्थमा जैसी गंभीर सांस की बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है।
- प्रदूषण की चपेट में आने से दिल की बीमारी, हार्ट अटैक और कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषण की चपेट में आने से सालाना करीब 2.70 लाख बच्चे जन्म के पहले ही महीने में काल के ग्रास बन जाते हैं।
- वायु प्रदूषण में कमी के साथ-साथ साफ पानी, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता के जरिये इन मौतों को रोका जा सकता है।

कैंसर की आयुर्वेदिक दवा

भाषा आण्विक अनुसंधान केंद्र (बार्क) के परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिकों ने कैंसर रोगियों के लिए आयुर्वेदिक दवा का आविष्कार किया है। यह दवा फेफड़ों और त्वचा के कैंसर के लिए बहुत असरकारी साबित हुई है। जैव कार्बनिक विभाग के वैज्ञानिक डॉ. वीएस पात्रो ने बताया कि बार्क में करीब तीन दशकों से आयुर्वेदिक औषधियों से कैंसर के उपचार पर शोध चल रहा है। इसमें कैंसर को लेकर दो महत्वपूर्ण दवाओं को खोजने में सफलता हासिल हुई है।

क्या है

- एक दवा कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों और पीड़ा को कम करने के लिए है, जबकि दूसरी दवा रेडियोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करती है। इसके अलावा बार्क के वैज्ञानिकों ने परमाणु दुर्घटना की स्थिति में अतिशय विकिरण के शिकार रोगियों के उपचार के लिए भी एक आयुर्वेदिक दवा तैयार की है।
- दुनिया में पहली बार खाने वाली गोली की शक्ति में कैंसर की औषधियां तैयार की गई हैं। इन सभी दवाओं की कीमत बहुत मामूली होगी। लिहाजा इसका इस्तेमाल आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का मरीज भी कर सकेगा।
- वैज्ञानिकों ने फेफड़ों और त्वचा कैंसर का इलाज बहुतायत में मिलने वाली झाड़ी रामपत्री से खोज निकाला। यह दवा शुरुआती चरण के कैंसर के मामलों में कीमोथेरेपी की जरूरत को नगण्य कर देगी। जबकि एडवांस स्टेज के कैंसर में कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों जैसे बाल झड़ना, खाने में दिक्कत होना, उल्टी आदि की तकलीफों को बहुत हद तक समाप्त कर देगी।
- रामपत्री के उपयोगी मॉलिक्यूल्स को निकालकर बार्क कीमोथेरेपिस्टिक (बीसीटी) औषधि विकसित की गई है।
- इस दवा से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में बड़ी वृद्धि होती है। इससे कैंसर के उपचार की प्रभावशीलता भी कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही कैंसर से होने वाले असहनीय दर्द को काफ़ी हद तक कम करने में भी यह दवा मददगार है।

ब्रह्मांड की सबसे ठंडी प्रयोगशाला

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में ब्रह्मांड की सबसे ठंडी प्रयोगशाला बनाने की तैयारी में है। इसके लिए एजेंसी वहां एक विशेष बक्सा भेजेगी। इस प्रयोगशाला की मदद से गुरुत्वाकर्षण और डार्क मैटर को समझने की दिशा में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है।

क्या है

- इस बक्से के अंदर लेजर, निर्वात और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से गैस परमाणुओं की ऊर्जा को तब तक सोखा जाएगा, जब तक कि वे पूरी तरह ठहर नहीं जाते। इसे को कोल्ड एटम लैबोरेटरी नाम दिया गया है। नासा की योजना इसे अगस्त में आईएसएस भेजने की है। यह बक्सा अंतरिक्ष से 10 करोड़ गुना अधिक ठंडा होगा।
- इन ठंडे परमाणुओं पर अध्ययन के जरिये गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी को लेकर हमारी समझ को नया आयाम मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस तापमान पर आने के बाद पदार्थ कणों की बजाय तरंगों की तरह व्यवहार करने लगता है। क्वांटम भौतिकी के नियम इसी सिद्धांत पर आधारित हैं।

भारत में इंटरनेट के इस्तेमाल में गिरावटः रिपोर्ट

हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। IAMAI और कंटर IMRB की एक जॉइंट रिपोर्ट के आंकड़ों की मानें तो भारत में इंटरनेट की पहुंच लगातार कम हो रही है और हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इससे महरूम है। रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट की पहुंच कम होने का मुख्य कारण है कि इसके फायदों के बारे में लोगों तक ठीक तरह से जानकारियां नहीं पहुंचाई जा रही हैं।

क्या है

1. रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 के आखिर तक भारत में लगभग 43 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय तक इंटरनेट की पहुंच का आंकड़ा 32 प्रतिशत का था। रोचक है कि इस पर नोटबंदी का असर भी नहीं पड़ा। इसके बाद यह दावा किया या कि इस साल जून तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 45-46 करोड़ तक पहुंच जाएगी।
2. रिपोर्ट ने अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2016 की स्टडी से यह पता लगाया कि शहरी आबादी में इंटरनेट यूसेज 7 प्रतिशत तक बढ़ा, जबकि ग्रामीण आबादी में यह आंकड़ा तीन गुना (21%) रहा। जून, 2017 तक इंटरनेट के शहरी यूजर्स की संख्या 27-28 करोड़ होने की संभावना है। जबकि, ग्रामीण यूजर्स की संख्या 17-18 करोड़ रहने की संभावना है।
3. इंटरनेट ऐक्सेस की बात करें तो शहर और गांवों में खास अंतर नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, शहरों में 51 प्रतिशत यूजर्स दिनभर में एक बार इंटरनेट ऐक्सेस जरूर करते हैं। ग्रामीण यूजर्स के लिए यह आंकड़ा 48 प्रतिशत का है।
4. उमीद के मुताबिक, दोनों ही क्षेत्रों में मुख्य रूप से युवा ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। 77 प्रतिशत शहरी यूजर्स और 92 प्रतिशत ग्रामीण यूजर्स ऑनलाइन आने के लिए स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं।
5. रिपोर्ट इंटरनेट ऐक्सेस के प्रति लोगों के व्यवहार के बारे में भी बताती है। जैसे कि लोग इंटरनेट के बारे में कम पता होने, इन्फ्रास्ट्रक्चर/साधनों की कमी और पूर्वाग्रहों की वजह से इंटरनेट यूज करने से कतराते हैं।
6. सर्वे में शामिल नॉन-यूजर्स में 68 प्रतिशत का कहना है कि वे अगर 1 साल के भीतर इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू करने की सोच रहे हैं। रिपोर्ट का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की पहुंच अभी तक सिर्फ 17 प्रतिशत है और इसे निश्चित तौर पर बढ़ाया जा सकता है।

सरकारी कर्मियों के लिए अब ई-सर्विस बुक

मोदी सरकार ने ई-गवर्नेंस की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक को ई-सर्विस बुक में बदला जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को सर्विस बुक के खो जाने या नष्ट हो जाने का डर खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर के एक क्लिक के साथ उनकी सर्विस बुक उनके पास ही होगी। दफ्तरों में भी कर्मचारियों की सर्विस बुक संभालकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

क्या है

1. दरअसल पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्मिक मंत्रालय को सर्विस बुक को ई-सर्विस बुक में बदलने का निर्देश दिया था। कार्मिक मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री के अधीन आता है।
2. कार्मिक मंत्रालय ने सबसे पहले इसे अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करने का फैसला किया। कार्मिक मंत्रालय के सभी कर्मचारियों की सर्विस बुक को स्कैन कर उनकी सॉफ्ट कॉपी तैयारी की जा चुकी है और 15 मार्च से उन्हें ई-सर्विस बुक के रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी।
3. कार्मिक मंत्रालय के बाद धीरे-धीरे केंद्र सरकार के सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इसे लागू किया जाएगा। सरकार की कोशिश अगले वर्ष के दौरान इसे पूरा करने की होगी।
4. कार्मिक मंत्रालय में प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद सभी राज्यों को भी अपने कर्मचारियों के सर्विस बुक को ई-सर्विस बुक में बदलने के लिए कहा जाएगा। उनके अनुसार ई-सर्विस बुक होने से सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ तत्काल जारी किये जा सकेंगे।
5. फिलहाल सर्विस बुक की फाइल घूमने महीनों लग जाता है और इससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ को तत्काल जारी किया जा सकेगा।

विविध

नाइट फ्रेंक वैल्यू रिपोर्ट 2017

सिटी वैल्यू इंडेक्स की लिस्ट में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने टोरंटो समेत वाशिंगटन डीसी और मास्कोस को पछाड़ दिया है। इस लिस्टक में मुंबई को 21वां स्थान मिला है। नाइट फ्रेंक वैल्यू रिपोर्ट 2017 ने यह लिस्ट जारी की है। इसमें दिल्ली को 35वां स्थान मिला है जबकि बैंकाक, सिएटल और जकार्ता इससे पीछे छूट गए हैं।

क्या है

1. इस लिस्ट में करीब 89 देशों के 125 शहरों को लिया गया था। इस दौरान वहां रहने वालों की कुल संपत्ति (ultrahigh net worth individuals & UHNWI) समेत निवेश और लाइफस्टानइल पर भी शहर को जांचा और परखा गया।
2. इस बार इस लिस्ट को दुनियाभर के बड़े प्राइवेट बैंकर्स और वैल्यू एडवाइजर्स के सर्वे से मिले आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दस वर्षों में भारत में रहने वाले लोगों के रहनसहन में काफी सुधार हुआ है।
3. रिपोर्ट के मुताबिक यह दोगुने से भी अधिक करीब 290 फीसद बढ़ा है। वहीं भारत में दुनिया के करीब दो फीसद अरबपति और 5 फीसद करोड़पति मौजूद हैं। UHNWI के मामले में भारत का मुंबई जहां इसमें सबसे अव्वतल है वहीं दिल्ली और कोलकाता दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा हैदरगाह चौथे नंबर पर आता है।
4. प्लूचर वैल्यू की कैटेगरी में भी मुंबई 11 स्थान पर आता है। 40 शहरों की इस लिस्ट में वह शिकागो, सिडनी, पेरिस, सियोल और दुबई से भी आगे है।
5. इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकत प्राप्ती में निवेश करना पसंद करते हैं। इस लिहाज से अगले दो वर्षों में करीब 40 फीसद लोग घरेलू बाजार और करीब 25 फीसद लोग विदेशी बाजार में निवेश कर सकते हैं।

भारतीय स्वास्थ्य संकेतक

भारतीय स्वास्थ्य संकेतक बताता है कि पिछले दशक में शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। इससे सेक्स अनुपात बेहतर हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे चरण के सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में जनसंख्या दर में भी सकारात्मक बदलाव दिख रहा है।

क्या है

1. ‘परिणाम बताते हैं कि अगर हम निवेश और स्वास्थ्य में अच्छा प्रोग्राम डिजाइन करे तो उसका पालन जरूर होगा।’
2. हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात में एक सराहनीय परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या काफी कम रही है।
3. साल 2005-06 में हरियाणा में 1000 लड़कों पर 762 लड़कियों ने जन्म लिया। वहीं रिपोर्ट के अनुसार साल 2014-15 में ये अनुपात बढ़कर 1000 लड़कों पर 836 लड़कियों ने जन्म लिया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात में मामूली सुधार हुआ है।
4. रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में भारत में प्रजनन दर में गिरावट आई है और वहीं आठ सालों में कम वजन के बच्चों का प्रतिशत काफी गिरा है।

नवजात शिशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2015-16 की रिपोर्ट बताती है कि केरल में शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। इस मामले में केरल अमेरिका के बराबर सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्य बन गया है। आंकड़ों के मुताबिक अगर भारत में मात्र केरला से ही मृत्यु दर के आंकड़े में 6 अंक की गिरावट आती है तो एक साल में लगभग सात लाख से भी अधिक बच्चों को बचाया जा सकता है।

क्या है

1. एनएफएचएस की साल 2015-16 की इस की रिपोर्ट की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 6 लाख परिवारों से मिलने के बाद आयोजित की गई है। पहली बार जिला स्तर पर 7 लाख महिलाओं और 1.3 लाख पुरुषों को लेते हुए ऐसा अनुमान लगाया गया है।

2. एनएफएचएस 3 और 4 की साल 2005-06 की रिपोर्ट में जीवित पैदा हुए प्रति एक हजार में से शिशु मृत्यु दर 57 से 41 रही। शिशु मृत्यु दर में पिछले एक दशक के दौरान लगभग सभी राज्यों में काफी गिरावट आई है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, अरुणांचलप्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में इसमें 20 से अधिक प्रतिशत अंक की गिरावट आई है।
3. स्वास्थ्य सचिव सी कश्मीर मिश्ना ने बताया, '1992-93 में एनएफएचएस 1 की रिपोर्ट में जीवित पैदा हुए प्रति एक हजार में से शिशु मृत्यु दर 79 रही, वहाँ एनएफएचएस-4 में जीवित पैदा हुए प्रति एक हजार में से शिशु मृत्यु दर 41 रही।'
4. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम और योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कारगर साबित हो रही है जैसा की सर्वेक्षण में देखने को मिल रहा है।

सिंधु-गंगा क्षेत्र का अध्ययन करेंगे भारत और ब्रिटेन

सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्र के अध्ययन के लिए भारत और ब्रिटेन ने हाथ मिलाया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाना है। परियोजना के लिए आइआईटी कानपुर और लेस्टर यूनिवर्सिटी ने हाथ मिलाया है। यूके-इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनीशिएटिव और विज्ञान एवं तकनीक विभाग इसके लिए धन मुहैया कराएगा।

क्या है

1. परियोजना का केंद्र आइआईटी कानपुर में होगा। ब्रिटेन में हर्टमट बोस्च एवं हरजिंदर सेंभी और भारत में प्रोफेसर सचिची त्रिपाठी इसका नेतृत्व करेंगे।
2. गंगा और सिंधु का मैदान क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहाँ के वातावरण में आ रहे बदलावों के बारे में पता लगाना महत्वपूर्ण है। इसकी मदद से भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने में आसानी होगी।
3. गंगा और सिंधु के मैदानी इलाकों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की लाखों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन आती है। यहाँ के कृषि उपज पर करोड़ों लोग निर्भर हैं।
4. जलवायु परिवर्तन से यह क्षेत्र भी अछूता नहीं है। वर्षा चक्र में बदलाव आने से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

दुनिया का हर 20वां प्रवासी भारत से

भारत से प्रवास का पुराना इतिहास रहा है। एक शताब्दी पहले यहाँ से बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय अफ्रीका और कैरेबियाई द्वीपों पर गए, जहाँ उनकी बड़ी जनसंख्या तैयार हो गई। पिछले कुछ दशक में भी प्रवासी भारतीयों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। लेकिन अब उनकी पसंदीदा जगहों में अमेरिका, खाड़ी देश और यूरोप शामिल हो गए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर ने वर्ष 2015 तक के आंकड़ों के आधार पर जारी अपने सर्वे में प्रवासी भारतीयों के बारे में कई तथ्य उजागर किए हैं।

क्या है

1. सर्वे में बताया गया कि विश्व के कुल प्रवासियों में हर 20वां प्रवासी भारत में पैदा हुआ है। इसका मतलब यहाँ से सबसे ज्यादा प्रवासी दुनिया के अन्य देशों में जाते हैं। अमेरिका ने 1990 में प्रवासियों की संख्या पर नजर रखना शुरू किया। पिछले 25 सालों में यहाँ प्रवासी भारतीयों की संख्या पहले की अपेक्षा दोगुनी हो चुकी है।
2. प्रवासी भारतीयों की कुल संख्या में से आधे लोग सिर्फ तीन देशों, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और अमेरिका में रहते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा प्रवासी अरब में हैं। सर्वे में बताया गया कि अमेरिका में हर 10 में से 9 भारतीय प्रवासी का जन्म भारत में हुआ है। ये वहाँ के सबसे अमीर और शिक्षित प्रवासी भी माने जाते हैं।
3. दुनिया के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में प्रवासी भारत में आकर निवासी करते हैं। इस मामले में भारत का विश्व में 12वां स्थान है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रवासी पड़ोसी देश बांग्लादेश से आते हैं, जिनकी संख्या 32 लाख से ज्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान से भी करीब 11 लाख लोग और नेपाल से 5.40 लाख लोग भारत में बतौर प्रवासी रहते हैं। इसमें श्रीलंका के लोगों की संख्या 1.60 लाख है।
4. विश्व बैंक के अनुसार, दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा भारत सबसे ज्यादा कर्माई अपने प्रवासियों के माध्यम से करता है। 2015 तक यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 3% रहा है। इसमें खाड़ी देशों के बाद सबसे ज्यादा पैसे अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से आए। भारत वर्ष 2008 से चीन को पछाड़कर इस मामले में शीर्ष पर है।

5. यू.ने 2010 के आंकड़ों के अनुसार बताया कि भारत में धार्मिक रूप से कम जनसंख्या वाले समुदाय के प्रवासियों की संख्या ज्यादा है। मसलन, देश के 14% मुस्लिम जनसंख्या के सापेक्ष प्रवासियों की संख्या 37% है। इसी तरह सिर्फ 3% जनसंख्या वाले इसाइयों के प्रवासियों की संख्या 19% है। इसके उलट देश के 80% जनसंख्या वाले हिंदुओं के प्रवासियों की संख्या महज 45% है।

प्रवासियों की बड़ी संख्या

1. 1.56 करोड़ से ज्यादा प्रवासियों का जन्म भारत में हुआ
2. 35 लाख प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं
3. 20 लाख प्रवासी भारतीयों की संख्या है पाकिस्तान में
4. 20 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं अमेरिका में
5. 52 लाख प्रवासी अन्य देशों से आकर भारत में रहते हैं।

प्रवासियों का पैसा

1. भारत 46 खरब
2. चीन 42 खरब
3. फिलीपींस 18.68 खरब
4. मैक्सिको 17 खरब
5. फ्रांस 15 खरब
6. पाकिस्तान 12 खरब
7. बांग्लादेश 10 खरब

भारत-पाक सीमा पर फहराया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा

अटारी सीमा पर अंतरराष्ट्रीय अटारी-वाघा सीमा पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। 55 टन के पोल पर फहराए गए इस तिरंगे की ऊंचाई 360 फुट है। 120 गुना 80 फुट के तिरंगे का वजन 100 किलो है। अब यह लिम्का बुक में दर्ज होगा। अटारी सीमा से लाहौर की दूरी लगभग 20 किमी है। तिरंगा लगाने वाली कंपनी का दावा कि यह लाहौर से दिखाई देगा। तिरंगे को लहराने की रस्म निकाय मंत्री अनिल जोशी, बीएसएफ के आइजी मुकुल गोयल, डीआइजी जेएस ओबराय, आइजी दिल्ली हेडकवार्टर सुमेर सिंह और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमल शर्मा ने अदा की। बीएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

क्या है

1. यह तिरंगा अटारी सीमा पर नोमेन लैंड से 150 मीटर दूर पंजाब टूरिज्म विभाग के सूचना केंद्र के बाहर स्थापित किया गया है। नगर सुधार ट्रस्ट ने 3.50 करोड़ रुपये से बजाज इलेक्ट्रिकल की सहयोगी कंपनी भारत इलेक्ट्रिकल होशियारपुर से इसे तैयार कराया है।
2. 55 टन वजन और 110 मीटर लंबे पोल को खड़ा करने के लिए मुंबई से विशेष सात ट्रालों पर स्पेशल क्रेन मंगवाई गई थी। क्रेन ने पोल लगाने का 78 लाख रुपये किराया लिया है।
3. तीन साल तक राष्ट्रीय ध्वज की देखरेख भारत इलेक्ट्रिकल कंपनी करेगी। लाइट के लिए 65-65 फुट ऊंचे तीन पोल लगाए गए हैं। हर पोल पर 500-500 वाट के 12 बल्ब लगाए गए हैं।
4. पाकिस्तान द्वारा इस पर आपत्ति उठाए जाने के बाद जून 2016 में प्रोजेक्ट रुक गया था। पहले तिरंगा सद्भावना द्वार से 30 फुट की दूरी पर स्थापित किया जाना था।
5. पाक रेंजरों की आपत्ति के बाद इसे ज्वाइट चेक पोस्ट अटारी पर स्थित पंजाब टूरिज्म विभाग की जगह पर स्थापित किया गया है। 1 मार्च 2017 को तिरंगे के पोल में कैमरे होने की बात कहते हुए पाक रेंजरों ने फिर आपत्ति उठाई थी, जिसे बीएसएफ ने सिरे से खाजिर कर दिया था।

देश में रहे गगनचुंबी तिरंगे

1. रांची (पहरी मंदिर) 293 फुट
2. हैदराबाद (संजीविणा पार्क) 291 फुट
3. रायपुर (तीलाबांध झील के पास) : 269 फुट
4. फरीदाबाद (याडन पार्क) : 250 फुट
5. पुणे (कटराज झील के पास) : 237 फुट
6. भोपाल (मंत्रालय के बाहर) : 235 फुट
7. दिल्ली (सेंट्रल पार्क) : 207 फुट
8. लखनऊ (जेनेश्वर मिश्रा पार्क) : 207 फुट
9. अमृतसर (अमृत आनंद बाग) 170 फुट

दुनिया का 5वां सबसे शोर वाला शहर

दिल्ली दुनिया का पांचवां सबसे ज्यादा शोर वाला शहर है। यहीं नहीं, सर्वाधिक शोर और बहरेपन (ध्वनि प्रदूषण या अन्य कारणों से) वाले शहरों की सूची में राजधानी विश्व में दूसरे स्थान पर है। वर्ल्ड हियरिंग इंडेक्स में यह बात सामने आई है।

कैसे बनाया इंडेक्स

- ध्वनि प्रदूषण इंडेक्स तैयार करने के लिए बर्लिन के मिमी एंड चौरिट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और नार्वे स्थित तकनीकी शोध समूह मिनटेफ के आंकड़ों की मदद ली।
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के आंकड़ों के अनुसार चालीस प्रमुख जगहों पर दोपहर और रात में सामान्य से अधिक शोर रहता है। आईटीओ पर दोपहर 12 से दो बजे के बीच 74 डेसीबल तक शोर दर्ज किया जाता है, जो दोपहर में शोर सहन करने के सामान्य मानक (55 डेसीबल) से अधिक है।
- आनंद विहार में दोपहर के समय ध्वनि प्रदूषण का स्तर 60.4 डेसीबल और रात में 41 डेसीबल दर्ज किया गया। रात में ध्वनि प्रदूषण का मानक 45 डेसीबल निर्धारित है। द्वारका में दोपहर में स्तर 58.1 और रात में 53.7 डेसीबल रहता है।

दुनिया के 5 शहर जहां ध्वनि प्रदूषण बहरापन सर्वाधिक

- ग्वांगज़ोउ, चीन
- दिल्ली, भारत
- काहिरा, मिस्र
- मुंबई, भारत
- इंस्तांबुल, तुर्की

कितना ध्वनि प्रदूषण किससे

- फुसफुसाहट 30
- बातचीत 40-60
- यातायात 80
- सबवे ट्रेन 90
- गन शॉट 100
- हैडफोन 110
- रॉक कंसर्ट 120
- जेट प्लेन, ब्लास्ट 140
- राकेट लांच 180

ध्वनि का खतरनाक स्तर

- 95 डेसीबल - ऐसी जगह जहां इस स्तर तक ध्वनि हो, वहां रोजाना 4 घंटे रहने से सुनाई देना बंद हो सकता है
- 100 डेसीबल - रोजाना 2 घंटे रहना भी खतरनाक
- 100 डेसीबल से अधिक - सुनाई देना तुरंत बंद हो जाएगा

ध्वनि प्रदूषण के सामान्य कारक

- यातायात
- वायुयान
- ट्रेन
- निर्माण स्थल
- फैक्ट्रियां

घूसखोरी के मामले में अव्वल स्थान पर भारत

ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक एशिया प्रशांत के सोलह देशों में से घूसखोरी के मामले में भारत अव्वल स्थान पर है। 10 में से करीब 7 भारतीय को सार्वजनिक सेवा के लिए घूस देनी पड़ी है। जबकि, इस मामले में सबसे निचले स्थान पर जापान है जहां सिर्फ 0.2 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक सेवा के लिए घूस दी है।

क्या है

1. भारत के पक्ष में सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पर पचास फीसदी से ज्यादा जवाब देनेवालों ने घूसखोरी के खिलाफ सरकार के कदम को सराहा। हालांकि, एक तरफ जहां लोग घूसखोरी के खिलाफ सरकार के प्रयासों को सार्थक कदम बताया तो वहां 40 फीसदी जवाब देने वालों ने कहा कि पिछले बारह महीने के दौरान भ्रष्टाचार में और इजाफा हुआ है।
2. 63 प्रतिशत जवाब देनेवाले भारतीय ने यह माना है कि उनके पास व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की पूरी ताकत थी।
3. बर्लिन में सात मार्च की मध्य रात्रि को एंटी करप्शन ग्लोबल सिविल सोसायटी ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल की तरफ से एशिया प्रशांत क्षेत्र को लेकर ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर जारी किया गया।
4. ऐसा अनुमान है कि भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 16 देशों के करीब 90 करोड़ लोग या यूं कहें कि चार में से एक ने सार्वजनिक सेवा के लिए घूस दी है।
5. ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट 'पीपुल एंड करप्शन: एशिया पैसिफिक' जो कि ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर सीरीज का हिस्सा है उसके लिए इन सोलह देशों के करीब 22 हजार लोगों से भ्रष्टाचार को लेकर उनके अनुभव पर बातचीत की।

एशिया में केवल भारत में कम हुई महिला सांसद

बीते साल अंतरराष्ट्रीय और एशियाई स्तर पर संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में मामूली बढ़ोत्तरी हुई। केवल भारत एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां महिला सांसद कम हो गई। वैश्विक अंतरसंसदीय संस्थान इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन (आईपीयू) की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले (7 फरवरी 2017) को ₹2016 में संसद में महिलाएं : वर्ष की समीक्षाएं नामक यह रिपोर्ट जारी की गई।

रिपोर्ट के मुताबिक

1. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2015 में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 22.6 फीसद था जो 2016 में बढ़कर 23.3 फीसद हो गया। एशिया में 2015 के 18.8 फीसद से बढ़कर यह 2016 में 19.3 फीसद हो गया। यह बढ़ोत्तरी मामूली रही, लेकिन चुनाव करने वाले सभी देशों मसलन ईरान, जापान, लाओस, मंगोलिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और वियतनाम में यह दर्ज की गई। केवल भारत इसका अपवाद रहा।
2. भारत में 1994 में स्थानीय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के मकसद से 2008 में एक संवैधानिक संशोधन पेश किया गया। जून और जुलाई 2016 में 244 सदस्यीय राज्यसभा में 27 महिलाएं ही चुनकर आई। कुल संख्या का यह केवल 11.1 फीसद है। पिछली बार यह आंकड़ा 12.8 फीसद था।
3. महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हर जगह पर महिलाओं की आवाज शामिल करने के लिए नए सिरे से मुहिम छेड़नी होगी। संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी कदमों तथा मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता की जरूरत है।
4. 273 संसद में से 53 की महिला अध्यक्ष हैं। जिन देशों में महिला अध्यक्ष हैं उनमें भारत भी है। पिछले साल नौ महिलाएं संसद अध्यक्ष चुनी गई।

महिलाओं को मिले हैं तमाम कानूनी अधिकार

महिलाओं को तमाम कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, ताकि उन्हें घर से लेकर दफ्तर तक प्रोटेक्ट किया जा सके। महिलाएं समाज में सम्मान से अपना जीवन बसर कर सकें इसके लिए उन्हें तमाम तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। कानूनी जानकार बताते हैं महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से लेकर पुलिस कार्रवाई के दौरान भी अधिकार मिले हुए हैं। महिला दिवस पर महिलाओं को मिले अधिकार के बारे में जानते हैं।

संपत्ति में अधिकार

1. महिलाओं को अपने पिता और पिता की पुरुतैनी संपत्ति में पूरा अधिकार मिला हुआ है।
2. पिता ने खुद की अर्जित संपत्ति के मामले में कोई वसीयत नहीं की हो तो उनके बाद जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी में लड़की को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा, जितना लड़के को और उनकी माँ को। इस बंटवारे में पुरुतैनी संपत्ति भी शामिल होगा।

ગુજરા ભત્તા પાને કા અધિકાર

1. અગર પતિ-પત્ની કે બીચ કિસી બાત કો લેકર અનબન હો જાએ ઔર પત્ની પતિ સે અપને ઔર અપને બચ્ચોં કે લિએ ગુજરા ભત્તા ચાહે તો વહ સીઆરપીસી કી ધારા-125 કે તહત ગુજરા ભત્તા કે લિએ અર્જી દાખિલ કર સકતી હૈ।
2. સાથ હી હિંદુ અડોશન એંડ મેટેનેસ એક્ટ કી ધારા-18 કે તહત ભી અર્જી દાખિલ કી જા સકતી હૈ। ઘરેલૂ હિંસા કાનૂન કે તહત ભી ગુજરા ભત્તા કી માંગ પત્ની કર સકતી હૈ।

ઘરેલૂ હિંસા કાનૂન કે તહત પ્રોટેક્શન

1. પિતા કે ઘર યા ફિર અપને પતિ કે ઘર મહિલાઓં કો સુરક્ષિત રખને કે લિએ ડીવી એક્ટ કા પ્રાવધાન કિયા ગયા હૈ, જો ભી મહિલા ડોમેસ્ટિક રિલેશન મંને હૈ વહ ઇસ કાનૂન કે તહત પ્રોટેક્ટેડ હૈ।
2. કોઈ પત્ની, બહન, માં, ભાર્ભી, બેટી આદિ અગર ડોમેસ્ટિક રિલેશન મંને હોં ઔર એક હી ઘર કે નીચે રહ રહી હોં તો વહ ડીવી એક્ટ કે તહત શિકાયત કર સકતે હૈનું। ડીવી એક્ટ કે તહત વહ મહિલા ભી કોર્ટ જા સકતી હૈ જો લિબ-ઇન રિલેશનશીપ મંને રહ રહી હો।

વર્ક પ્લેસ પર પ્રોટેક્શન

1. વર્ક પ્લેસ પર મહિલાઓં કો સેક્સુઅલ હરાસમેટ સે બચાને કે લિએ સુપ્રીમ કોર્ટ ને વિશાખા જજમેટ કે તહત ગાઇડ લાઇસ બનાઈ થી ઔર ઇસકે તહત મહિલાઓં કો પ્રોટેક્ટ કિયા ગયા હૈ।
2. 1997 મંને સુપ્રીમ કોર્ટ ને વિશાખા જજમેટ કે તહત ગાઇડલાઇસ બનાઈ થી। 2013 મંને સરકાર ને સેક્સુઅલ હૈરેસમેટ એટ વર્ક પ્લેસ કાનૂન બનાયા હૈ ઇસકે તહત મહિલાઓં કો પ્રોટેક્ટ કિયા ગયા હૈ।

પુલિસ કાર્બવાઈ કે દૌરાન પ્રોટેક્શન

1. મહિલા કી તલાશી કેવેલ મહિલા પુલિસકર્મી હી લે સકતી હૈ। મહિલા કો સૂર્યાસ્ત કે બાદ ઔર સૂર્યોદય સે પહલે પુલિસ હિરાસત મંને નહીં લે સકતી। સંદિગ્ધ મહિલા કો લૉકઅપ મંને અલગ રખના જરૂરી હૈ।

અબોર્શન કે લિએ મહિલા કી સહમતિ

1. મહિલાઆ કી સહમિત કે બિના ઉસકા અબોર્શન નહીં કરાયા જા સકતા। અબોર્શન કરાએ જાને કે મામલે મંને મહિલા કી સહમિત જરૂરી હૈ।
2. 1971 મંને એક અલગ કાનૂન બનાયા ગયા ઔર ઇસકા નામ રખા ગયા મેડિકલ ટર્મિનેશન આંફ પ્રેગનેંસી એક્ટ ઇસકે તહત તમામ પ્રાવધાન કિએ ગએ હૈનું।

મહિલા કો ફ્રી લીગલ એડ

1. મહિલાઓં કો ફ્રી લીગલ એડ દિએ જાને કા પ્રાવધાન હૈ। અગર કોઈ મહિલા કિસી કેસ મંને આરોપી હૈ તો વહ ફ્રી લીગલ એડ લે સકતી હૈ। વહ અદાલત સે ગુહાર લગા સકતી હૈ કે ઉસે મુફ્ત મંને સરકારી ખર્ચે પર વકીલ ચાહિએ।

ચૌથી બાર મનોહર પર્રીકર બને ગોવા કે મુખ્યમંત્રી

મનોહર પર્રીકર ચૌથી બાર ગોવા કે મુખ્યમંત્રી પદ કી શાપથ લી। ઇસકે સાથ હી, એમજીપી કે મનોહર અજગાંવકર ઔર નિર્દલીય વિધાયક રોહન ખુંટે ને ભી ગોવા સરકાર મંને મંત્રી પદ કી શાપથ લી।

સુપ્રીમ કોર્ટ સે કાંગ્રેસ કો નહીં મિલી રાહત

1. ગોવા મંનોહર પર્રીકર કે નેતૃત્વ મંને ભાજપા સરકાર કે ગઠન કો ચુનાતી દેને પહુંચી કાંગ્રેસ કો સુપ્રીમ કોર્ટ સે રાહત નહીં મિલી। મુખ્યમંત્રી કે શાપથ ગ્રહણ પર રોક લગાને સે ઇનકાર કરતે હુએ મુખ્ય ન્યાયાધીશ જેએસ ખેહર ને કાંગ્રેસ સે પૂછ્યા કે અગર ઉનકે પાસ બહુમત થા તો વહ દાવા કરને રાજ્યપાલ કે પાસ ક્યોં નહીં ગઈ।

એસા અન્ય ઉદાહરણ

1. 2005 મંને ઝારખંડ કી 81 સીટોં વાલી વિધાનસભા મંને ભાજપા 30 સીટોં કે સાથ સબસે બડી પાર્ટી થી। લેકિન 17 સીટોં વાલી પાર્ટી ઝારખંડ મુક્તિ મોર્ચા ને અન્ય દલોં કે સાથ લેકર બહુમત કો આંકડા પા લિયા ઔર સરકાર બનાયા।
2. એસી હી ઘટના 2002 મંને જમ્મુ-કશ્મીર મંને ભી હુઈ થી જબ સબસે બડી પાર્ટી નેશનલ કાંફ્રેસ થી। ઇસે 28 સીટોં મિલી થી લેકિન 21 ઔર 15 સીટોં પર સફલતા પાને વાલી પીડીપી ઔર કાંગ્રેસ ને ગઠબંધન સરકાર બનાઈ થી। દિલ્હી મંને 2013

में भाजपा 31 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन 28 सीट पाने वाले आप को कांग्रेस ने समर्थन देकर सरकार बनाने के काबिल बनाया था।

लाल शैवाल का 1.6 अरब वर्ष पुराना जीवाश्म मिला

वैज्ञानिकों ने मध्य भारत में लाल शैवाल का 1.6 अरब वर्ष पुराना जीवाश्म खोज निकाला है। समझा जा रहा है कि यह संभवतः धरती पर मौजूद पौधे के रूप में जीवन का सर्वाधिक पुराना सबूत है। स्वीडन के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने इसे मध्य प्रदेश के चित्रकूट में खोजा है।

क्या है

1. इस खोज से पता चलता है कि आधुनिक बहुकोशिकीय जीवन पूर्व की सोच से बहुत पहले ही पनप चुका था।
2. धरती पर जीवन के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, वे कम से कम 3.5 अरब वर्ष पुराने हैं। लेकिन ये एकल कोशिका वाले जीवों के हैं।
3. पहले की खोजों में मिले बहुकोशिकीय जीव लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले के हैं। वर्तमान खोज से पहले जिस लाल शैवाल की खोज हुई थी, वह 1.2 अरब वर्ष पुराना है।
4. शोधकर्ताओं को लाल शैवाल जैसे दिखने वाले दो जीवाश्म चित्रकूट में छट्टानों के नीचे अच्छी हालत में मिले हैं।

मणिपुर में पहली बार बनी BJP की सरकार

मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बीरेन सिंह के शपथ लेने के बाद प्रदेश में पहली बार बीजेपी गठबंधन सरकार बन गई है। राज्यपाल ने बीजेपी विधायक दल के नेता बीरेन सिंह को सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया था। बीरेन सिंह को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था।

क्या है

1. भाजपा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया है।
2. गोवा के बाद मणिपुर दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में नहीं उभरने के बाद भी भाजपा की गठबंधन सरकार होगी।

आईसीसी चेयरमैन ने दिया इस्तीफा

पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर ने हैरानी भरा कदम उठाते हुए निजी कारणों का हवाला देकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। मनोहर ने मई 2016 में जिम्मेदारी संभाली थी। मनोहर ने आईसीसी सीईओ डेव रिचर्ड्सन को ईमेल के जरिए इस्तीफा भेजा, जिसमें अचानक उनके यह कदम उठाने के कारण को स्पष्ट नहीं किया गया है। 59 साल के मनोहर का कार्यकाल दो साल का था।

क्या है

1. मनोहर ने इस्तीफा देते हुए पत्र में लिखा, 'मुझे पिछले साल निर्विरोध आईसीसी का पहला स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया था। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की और सभी निदेशकों के सहयोग से बोर्ड के संचालन और सदस्य बोर्ड से जुड़े मामलों का फैसला करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष रहने का प्रयास किया।'
2. मनोहर ने पिछले साल बीसीसीआई अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और इसका कारण यह बताया था कि वह लोढ़ा समिति की सिफारिशों को जस का तस लागू करने में अक्षम हैं। उस समय बीसीसीआई में उनके आलोचकों ने कहा था कि आईसीसी में सुरक्षित स्थान के लिए वह ढूबते जहाज तो छोड़कर चले गए हैं।
3. वह आईसीसी के पहले स्वतंत्र चेयरमैन बने, लेकिन इस दौरान राजस्व साझा करने के फॉर्म्युले को लेकर बीसीसीआई के साथ कई बार उनका टकराव हुआ।
4. बीसीसीआई अधिकारियों का मानना था कि आईसीसी की अगुआई करने की निजी महत्वकांक्षा के कारण मनोहर ने बीसीसीआई के हितों पर ध्यान नहीं दिया। उनके संवैधानिक सुधार के कदमों का बीसीसीआई और श्रीलंका ने कड़ा विरोध किया था।